# मुंबई पत्तन प्राधिकरण
# पेंशन निधि न्यास

# MUMBAI PORT AUTHORITY
# PENSION FUND TRUST

## प्रशासन रिपोर्ट
## ADMINISTRATION REPORT

और / and

## वार्षिक लेखा
## ANNUAL ACCOUNTS
## 2024-2025

और /and

## उसपर लेखापरीक्षा रिपोर्ट
## THE AUDIT REPORT THEREON

वर्ष 2024-2025 की रिपोर्ट में अंतर्निहित लेखापरीक्षा संबंधी
आपत्तियों/अवलोकनों आदि पर की गयी कार्रवाई के विवरण सहित

**WITH ACTION TAKEN NOTES ON**
**AUDIT OBJECTIONS/OBSERVATIONS CONTAINED**
**IN THE REPORT FOR THE YEAR 2024-2025**

# अनुक्रमणिका /INDEX


| विषय सूची / CONTENTS | पृष्ठ क्र Page Nos |
|---|---|
| प्रशासन रिपोर्ट 2024-25<br>Administration Report 2024-25 | 1-15 |
| 31 मार्च 2025 का तुलन पत्र<br>Balance sheet as on 31st March 2025 | 16 |
| 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा<br>Income and Expenditure Account for the year ended 31st March | 17 |
| 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्राप्तियाँ और भुगतान<br>Receipt and Payments for the year ended 31st March 2025 | 18-19 |
| 31 मार्च 2025 के तुलन पत्र की अनुसूचियाँ<br>Schedules to balance sheet as on 31st March 2025. | 20-29 |
| महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ - 31 मार्च 2025<br>Significant Accounting Policies - 31st March 2025 | 30 |
| लेखा पर टिप्पणियाँ - 31 मार्च 2025<br>Notes on Accounts - 31st March 2025 | 31-39 |
| दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास के लेखा पर की गई लेखापरीक्षा रिपोर्ट<br>Audit Report on the Accounts of the Mumbai Port Authority Pension Fund Trust for the Year ended 31st March 2025. | 40-47 |
| दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास के लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर की गई कार्यवाही नोट .<br>Action taken notes on the Audit Report on the Accounts of Mumbai Port Authority Pension Fund Trust for the Year ended 31st March 2025. | 48-54 |
| Disclaimer / अस्वीकरण | 55 |

# मुंबई पत्तन प्राधिकरण
# पेंशन निधि न्यास

# MUMBAI PORT AUTHORITY
# PENSION FUND TRUST

## प्रशासन रिपोर्ट
**2024-2025**

## ADMINISTRATION REPORT
**2024-2025**

# न्यासी मंडल

## मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास

## TRUSTEES OF MbPA PENSION FUND TRUST

*’*’*’*’*’*’*

| | | |
|---|---|---|
| अध्यक्ष मुंबई पत्तन प्राधिकरण<br>CHAIRMAN, MBPA | : | डॉ.एम.अंगमुथु,आईएएस<br>DR.M.ANGAMUTHU,IAS |
| उपाध्यक्ष मुंबई पत्तन प्राधिकरण<br>DY. CHAIRMAN, MBPA | : | आदेश तितरमारे<br>ADESH TITARMARE |
| वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी<br>मुंबई पत्तन प्राधिकरण, सचिव और संयोजक<br>(FA&CAO, MBPA)<br>(SECRETARY & CONVENER) | : | माधुरी वराडे<br>MADHURI VARADE |
| सचिव़ मुंबई पत्तन प्राधिकरण<br>SECRETARY, MBPA | : | पी.एन. बाहेकर<br>P.N. BAHEKAR |
| श्रमिको के प्रतिनिधित्व कर रहे न्यासी<br>TRUSTEE REPRESENTING LABOUR | : | प्रदीप नलावडे<br>PRADEEP NALAVDE |
| श्रमिको के प्रतिनिधित्व कर रहे न्यासी<br>TRUSTEE REPRESENTING LABOUR | : | ज्ञानेश्वर वाडेकर<br>DNYANESHWAR WADEKAR |

# मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास

## प्रशासन रिपोर्ट 2024-25

मैं 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास की प्रशासनिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में हर्ष महसूस कर रहा हूँ.

न्यास के निर्माण की संक्षिप्त पृष्ठभूमि और वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान न्यास का निष्पादन निम्नानुसार है:

### 1. मुं.प.प्रा. पेंशन निधि न्यास की स्थापना (एमबीपीएपीएफटी) :

आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार मुं.प.न्या (पेंशन निधि) विनियम तैयार किए गए. मुं.प.न्या (पेंशन निधि) विनियम, 2004 के अनुसार मुंबई पत्तन न्यास पेंशन निधि न्यास के प्रथम न्यासियों के रूप में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सचिव और दो श्रम न्यासियों को नामित कर पेंशन निधि के प्रबंधन के लिए एक अपरिवर्तनीय न्यास का सृजन किया गया. मुंबई पत्तन के न्यासी मंडल और पेंशन निधि न्यासके प्रथम न्यासियों के बीच दि.14.1.2004 को हुए न्यास विलेख के निष्पादन से मुंबई पत्तन न्यास पेंशन निधि न्यास अस्तित्व में आया.

### 2. मुं.प.न्या पेंशन निधि न्यास को मान्यता :

आयकर आयुक्त क्षेत्र 12(1), मुंबई ने आयकर अधिनियम 1961 की अनुसूची IV के भाग बी के नियम 2(1) के अधीन उन्हें सौंपे गए अधिकारों के अनुसार दि. 1.3.2004 के आदेश क्र. सीआयटी 12/पेंशन फंड/ 2003-04 द्वारा मुंबई पत्तन न्यास पेंशन निधि न्यास को अनुमोदन प्रदान किया था. मंत्रालय ने उनके दि. 6.4.2004 के पत्र द्वारा न्यास को अनुमोदन सूचित किया और दि. 21 मई 2004 के सरकारी राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित की गयी.

### 3. मुं.पो.ट्र पेंशन फंड ट्रस्ट के नामकरण में बदलाव को अनुमोदन :

केंद्र सरकार ने 3 नवंबर 2021 को उस तारीख के रूप में नियत किया है, जिस दिन महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 का प्रावधान लागू हुआ था. उसे दिनांक 29.10.2021 को राजपत्र अधिसूचना संख्या एस.ओ. 4504 (ई) के माध्यम से प्रकाशित किया गया था. तद्नुसार 29.10.2021 से महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021, प्रभावी हुआ. इसके बाद मंत्रालय ने दिनांक 03.11.2021 की राजपत्र अधिसूचना के तहत महापतन प्राधिकरणों के पहले न्यासी मंडल का गठन किया. तदनुसार, मुंबई पत्तन प्राधिकरण के बोर्ड के सदस्यों ने बोर्ड संकल्प संख्या 02 दिनांक 15.02.2022 के माध्यम से दिनांक 31.01.2022 अर्थात राजपत्र अधिसूचना की तिथि से "मुंबई पोर्ट ट्रस्ट" के नाम को "मुंबई पत्तन प्राधिकरण" के रूप में बदलने को अनुमोदन प्रदान किया.

उपरोक्त का अनुपालन करने के लिए, एमबीपीएपीएफटी के न्यासियों ने अपने संकल्प संख्या 02 दिनांक 12.05.2022 के माध्यम से मुंबई पत्तन न्यास पेंशन निधि न्यास (एमबीपीटीपीएफटी) के नाम को मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास' (एमबीपीएपीएफटी) के रूप में बदलने को अनुमोदन प्रदान किया.

## 4. भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा निधि प्रबंधन :

दि. 29.3.2004 के न्यासी मंडल की संकल्प संख्या 48 के अनुसार आयकर नियम, 1962 के नियम 89 के अनुपालन में भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआयसी) को पेंशन निधि के प्रबंधन हेतु निधि प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया है. प्रत्येक वर्ष में वर्तमान तथा भविष्य के पेंशनरों के प्रति पेंशन देयता का भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा बीमांकिक मूल्यांकन कर परिकलन किया जाता है. इस वित्तीय वर्ष के दौरान मुंबई पत्तन प्राधिकरण द्वारा एमबीपीएपीएफटी के निवेश हेतु रु 1967.00 करोड की राशि भा.जी.बी.नि. को अंशदानित की गई.

दि. 31.3.2025 को भा.जी.बी.नि. के साथ कुल निवेश रु. 11975.87 करोड़ है, जब कि दि. 31.3.2023 को यह रु. 10308.42 करोड़ था. भा.जी.बी.नि. ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 8.09% की दर से ब्याज घोषित किया है. भा.जी.बी.नि. द्वारा घोषित प्रतिफल में वित्तीय वर्ष 2023-24 में 8.08% से वित्तीय वर्ष 2024-25 में 8.09% की बढोतरी हुई है. 10308.42 करोड रूपये के निवेश पर उपार्जित 875.46 करोड रूपये ब्याज की राशि है.

## 5. बीमांकिक मूल्यांकन :

प्रत्येक वर्ष वर्तमान कर्मचारी और पेंशनरों की जानकारी भा.जी.बी.नि. को भेजी जाती है और बीमांकिक मूल्यांकन प्रमाणपत्र उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भा.जी.बी.नि. ने वर्तमान पेंशनरों के प्रति रु. 10102.27 करोड़ और भविष्यकालीन पेंशनरों अर्थात वर्तमान कर्मचारियों के प्रति रु. 2959.15 करोड, कुल मिलाकर रु. 13061.42 करोड़ की कुल बीमांकिक देयता का परिकलन किया है. यह मूल्यांकन 6% के दर से वेतन में बढोतरी को ध्यान में रखकर किया गया है.

## 6. मुंबई पत्तन प्राधिकरण से अंशदान :

इस बिमांकिक देयता के आधार पर तथा मुंबई पत्तन प्राधिकरण (पेंशन फंड) विनियम, 2004 में दिए गए मार्गदर्शक तत्वों के अनुसार मुंबई पत्तन प्राधिकरण द्वारा मु. प. प्रा. पेंशन निधि न्यास (एमबीपीए-पीएफटी) में वार्षिक अशदान किया जाता है. मुंबई पत्तन प्राधिकरण ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास में भारतीय जीवन बीमा निगम में निवेश के रूप में रु.1967.00 करोड़ का अंशदान किया है., जिसमें से रु. 95.00 करोड़ निकालकर पेंशन फंड में पुनर्निवेशित कर दिए गए. इसी प्रकार, वित्त वर्ष 2023-24 में एमबीपीए को एमबीपीए-पीएफटी को रु. 1495.00 करोड़ की राशि का योगदान दिया गया।

## 7. मासिक पेंशन भुगतान हेतु भा. जी. बी. नि. के साथ पेंशन निधि के निवेश की मूल धनराशि तथा उसपर उपार्जित व्याज की निकासी.

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भा.जी.बी.नि. ने 8.08% का व्याजदर घोषित किया था, हालाँकि, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अनुदरवादी आधार पर 7.00% की ब्याज दर का अनुमान लगाया गया था. वित्तीय वर्ष 2024-25 में की गई रु 1967.00 करोड की राशि निवेश और रु 722.00 करोड़ राशि के अनुमानित प्राप्त व्याज ध्यान में लेते हुए, रु 1175.00 करोड़ की राशि मासिक पेंशन भुगतान हेतु भा. जी. बी. नि के साथ निवेश पर व्याज से वर्ष के दौरान निकाली गयी.

## 8. निधि की स्थिति :

31.03.2025 तक निवेश शेष ₹11976.63 करोड़ है, जिसमें ₹0.75 करोड़ का सीएलटीडी निवेश शामिल है, जबकि 31.03.2024 तक यह ₹10308.41.92 करोड़ था। 31.03.2025 तक ₹13061.42 करोड़ के बीमांकिक मूल्यांकन पर विचार करें, जिसमें मौजूदा पेंशनभोगियों के लिए ₹10102.27 करोड़ और भावी पेंशनभोगियों (मौजूदा कर्मचारियों) के लिए ₹2959.15 करोड़ शामिल हैं, तो ₹1084.79 करोड़ की कमी है। आने वाले वर्षों में अधिशेष राजस्व की उपलब्धता से इस कमी की भरपाई होने की उम्मीद है।

## 9. वित्तीय स्थिति :

वर्ष के दौरान, इस निधि के निवेशों पर रु.875.46 करोड ब्याज अर्जित हुआ रु. 1429.91 करोड़ के पेंशन भुगतान में पेंशन समीक्षा, समेकन तथा समाधान के कारण उत्पन्न बकाया राशि तथा जीवन प्रमाणपत्र की प्राप्ति न होने के कारण रोके गये पेंशन के कारण उसके लिए वही खाते में लिखा गया रु 253.69 करोड़ का उपार्जित व्यय शामिल है. न्यास ने वर्ष 2024-25 के दौरान रु. 451.04 करोड़ का घाटा उठाया है. जबकि विगत वित्तीय वर्ष में यह घाटा 410.92 करोड़ रुपये था. घाटा संग्रहित निधि में प्रभारित किया गया है.

## 10. मार्च 2024 और मार्च 2025 को पेंशन भोगियो की स्थिति :

(ए) **पेंशन भुगतान के आधार पर :**

| अनु. क्र | पेंशन का प्रकार | पेंशनरों की संख्या | |
|---|---|---|---|
| | | 31 मार्च 2024 को | 31 मार्च 2025 को |
| 1. | अधिवर्षिता | 19280 | 18792 |
| 2. | परिवारिक | 13824 | 13484 |
| 3. | सानुग्रह | 413 | 348 |
| | **कुल :-** | **33517** | **32624** |

(बी) **पेंशनरों की संख्या के आधार पर :**

| अनु. क्र | विवरण | पेंशनरों की संख्या | |
|---|---|---|---|
| | | 31 मार्च 2024 को | 31 मार्च 2025 को |
| 1. | भुगतान किया गया पेंशन | 33517 | 32624 |
| 2. | अस्थायी रूप से रोका गया | | |
| | (i) आधार कार्ड, शपथ पत्र, चिकित्सा प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत न करना | 207 | 0 |
| | (ii) जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत न करना | 1353 | 789 |
| | **कुल :-** | **35077** | **33413** |

## 11. वर्ष के दौरान निपटाए गए पेंशन मामलों की संख्या :

| विवरण | वित्तीय वर्ष 2023-2024 | वित्तीय वर्ष 2024-2025 |
|---|---|---|
| अधिवर्षिता | 617 | 425 |
| पारिवारिक | 583 | 565 |
| सानुग्रह | 0 | 3 |
| **कुल :-** | **1200** | **993** |

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान नये पेंशन मामलों में 2.97% की वृद्धि हुई जबकि विगत वित्तीय वर्ष में यह 3.42% थी.

## 12. वर्ष के दौरान मृत्यु के मामलों की संख्या :

| विवरण | वित्तीय वर्ष 2023-2024 | वित्तीय वर्ष 2024-2025 |
|---|---|---|
| अधिवर्षिता | 750 | 635 |
| पारिवारिक | 519 | 461 |
| सानुग्रह | 44 | 30 |
| **कुल :-** | **1313** | **1126** |

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान मृत्यु अनुपात 3.37% रहा जबकि विगत वित्तीय वर्ष में यह 3.74% था.

## 13. जीवन प्रमाणपत्र प्राप्त न होने के कारण रोके गये पेंशन के मामलों की संख्या :

| | पेंशनरों की संख्या | भुगतान न की गयी राशि (रु करोड में) |
|---|---|---|
| (i) वित्तीय वर्ष 2023-24 तक | 272 | 1.98 |
| (ii) वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान | 143# | 0.98 |

# जुलाई 2025 में पेंशन बंद की गयी

## 14. पेंशनभोगियों (विकलांग व्यक्तियों) की संख्या जिन्हें पेंशन का भुगतान किया गया है :

| | पेंशनरों की संख्या | भुगतान की गयी राशि (रु करोड में) |
|---|---|---|
| वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान | 101 | 3.8 |

## 15. पेंशनरों की संख्या, जिन्हें अतिरिक्त पेंशन अदा की गयी.

| पेंशनर/ पारिवारिक पेंशनरों की आयु | अतिरिक्त लाभ (%) | कुल पेंशनर 2023-2024 | कुल पेंशनर 2024-2025 |
|---|---|---|---|
| 80 वर्ष से अधिक पर 85 वर्षों से कम आयु तक | 20 | 329 | 190 |
| 85 वर्ष से अधिक पर 90 वर्षों से कम आयु तक | 30 | 210 | 84 |
| 90 वर्ष से अधिक पर 95 वर्षों से कम आयु तक | 40 | 119 | 56 |
| 95 वर्ष से अधिक पर 100 वर्षों से कम आयु तक | 50 | 16 | 14 |
| 100 वर्ष से अधिक | 100 | 4 | 04 |
| **कुल :-** | | **678** | **348** |

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कुल 1.04% पेंशनर अति वरिष्ठ नागरीक है जबकि विगत वर्ष में ऐसे 1.94% पेंशनर थे.

## 16. पेंशनरों को अदा किए गये महँगाई भत्ते का ब्योरा :

| अनु. क्र. | अवधि | वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए % | | | वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए % | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | आधार सूचकांक | | | आधार सूचकांक | | |
| | | **126** | **277** | **359** | **126** | **277** | **359** |
| 1. | अप्रैल - जून | 204 | 38 | 6 | 218 | 45 | 11 |
| 2. | जुलाई - सितंबर | 206 | 39 | 8 | 218 | 45 | 12 |
| 3. | अक्तूबर - दिसंबर | 217 | 44 | 11 | 225 | 45 | 12 |
| 4. | जनवरी- - मार्च | 216 | 44 | 11 | 225 | 48 | 14 |

मार्च 2024 की तुलना में मार्च 2025 का आधार सूचकांक 126, 9% बढ़ा था.
मार्च 2024 की तुलना में मार्च 2025 का आधार सूचकांक 277, 4% बढ़ा था,
मार्च 2024 की तुलना में मार्च 2025 का आधार सूचकांक 359, 3% बढ़ा था.

## 16.1 भुगतान के माध्यम के अनुसार मासिक पेंशन भुगतान :

| अनु. क्र. | भुगतान का माध्यम | वित्तीय वर्ष 2023-24 | वित्तीय वर्ष 2024-25 |
|---|---|---|---|
| | **बैंक के माध्यम से** | (रु. करोड में) | (रु. करोड में) |
| 1. | सीबीएस (एसबीआई) | 617.40 | 557.17 |
| 2. | इसीएस | 88.33 | 67.82 |
| 3. | एनइएफटी | 616.95 | 569.46 |
| 4. | निवल उपर्जित पेशन | -157.05* | 235.47# |
| | **कुल :-** | **1165.63** | **1429.92** |

* निवल उपार्जित पेंशन में 31.3.2025 को रु. (3.42) करोड के समापन के बाद रु 232.05 करोड उपर्जित पेंशन शामिल है
\# निवल उपर्जित पेंशन में 31.3.2024 को रु.(0.20) करोड़ के समापन के बाद रु (156.85) करोड़ उपर्जित पेंशन शामिल है

## 16.2 वर्ष के दौरान नियमित पेंशन के भुगतान के अलावा कोई असाधारण बकायों के भुगतान का ब्यौरा :

पेंशन की समीक्षा के कारण अप्रैल 2024-माह में करोड़ रुपये का पेंशन बकाया भुगतान किया गया तथा वित्त 0.41 2024-के दौरान जुलाई 2025-2024 वर्षमाह में संशोधन 2017-के लिए अतिरिक्त संराशीकरण के कारण 0.52 .करोड़ रुपये का भुगतान किया गया

## 16.3 संराशीकरण का भुगतान :

वर्ष के दौरान पेंशन के कुल संराशीकृत मूल्य ₹ 61.13 करोड़ का भुगतान किया गया, जिसमें संराशीकरण के रूप में ₹ 60.61 करोड़ का नियमित भुगतान तथा वेतन समीक्षा -2017 के लिए अतिरिक्त संराशीकरण के रूप में ₹ 0.52 करोड़ शामिल हैं, जैसा कि ऊपर बताया गया है.

## 16.4 वर्ष के दौरान पेंशन नियमों / विनियमों में संशोधन :

एक से अधिक विधवाओं को देय पारिवारिक पेंशन के संबंध में बोर्ड द्वारा दिनांक 24.11.2023 को बीआर संख्या 170 पारित किया गया। इसके अलावा मु. प. प्रा. के मौजूदा पेंशन विनियमों को सीसीएस (पेंशन) नियम 1972 की तर्ज पर मु. प. प्रा. 2021 के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त रूप से अद्यतन किया जा रहा है. वर्षके दौरान 25-2024 कोई संशोधन नहीं है

[1]

## 16.5 भा. जी. बी. निगम द्वारा पेंशन की प्रतिपूर्ति/ भुगतान की स्थितिः

पेंशन वितरण के लिए वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) से ₹ 1175.00 करोड़ निकाले गए और मुंबई पत्तन प्राधिकरण द्वारा ₹ 104.50 करोड़ का भुगतान भी किया गया.

## 17. अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएँ :

- **अधिकतम पेंशन :**

विगत वित्तीय वर्ष में भुगतान किये गये 1,45,553/- रूपये की तुलना में वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1,40,668/- रूपये उच्चतम पेंशन भुगतान किया गया है.

- **डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र :**

नवंबर 2016 से "ई जीवन प्रमाण" के माध्यम से पेंशनरों के डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र पंजीकरण के लिए प्रणाली भी उपलब्ध करायी गयी है. 2024-2025 के दौरान कुल 30301 पेंशनरों ने इस सुविधा का लाभ उठाया है और उनके जीवन प्रमाणपत्र डिजिटल फार्म में अग्रेषित किये है.

- **मोबाईल एप मु.प.प्रा. ई-सेवा :**

पेंशनधारकों को उनके मासिक पेंशन के विवरण की जानकारी के लिए तथा मुं.प.प्रा. को उनकि शिकायत दर्ज करने तथा ऐसी शिकायत की स्थिति को जानने के लिए मुं.प.प्रा. ई-सेवा अप्लीकेशन है. यह सेवा नवंबर, 2017 से मुं.प.प्रा. वेबसाइट पर उपलब्ध करायी गयी है तथा यह अन्ड्रॉइड एवं आइओएस आधारित मोबाइल फोनों से भी प्राप्त की जा सकती है. अप्लीकेशन निम्नलिखित सुविधा उपलब्ध करता है.

1) **माई प्रोफाइल ब्यौरा :**

इसमें पेंशनरों का ब्योरा जैसे उनकी पीपीपोओ संख्या, स्थिति, आधार संख्या पैन संख्या, जन्मतिथि, पता, नियुक्ति की तिथि, सेवानिवृत्ति को तिथि, खाता संख्या, बैंक का नाम आदि विवरण उपलब्ध होते है.

2) **<u>परिपत्रक :</u>**

महत्वपूर्ण परिपत्रक तथा जीवन प्रमाणपत्र के प्रपत्र डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध होते है.

3) **<u>फीडबॅक /प्रश्न :</u>**

पेंशनर उनकी शिकायतें दर्ज कर सकते है. साथ ही, पता, वैवाहिक स्थिति, बैंक विवरण, केवायसी आदि में परिवर्तन के लिए अनुरोध भी दर्ज करा सकते है.

4) **ईआरपी कार्यान्वयन पूर्णता की और अग्रेसर है**.

**18**. **<u>आभार</u> :**

मैं, मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास के न्यासियों के समर्थन तथा मार्गदर्शन के लिए उन्हें अपना धन्यवाद देता हूँ. पेंशन न्यास को मजबूत बनाने के लिए मैं मुंबई पत्तन प्राधिकरण के न्यासी मंडल के माननीय सदस्यों का अत्यंत आभारी हूँ. मैं भारतीय जीवन बीमा निगम के अधिकारियों को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूँ और आगामी वर्षों के लिए अच्छी आय की अपेक्षा करता हूँ. न्यास विलेख में उल्लिखित विद्यमान नियमों तथा मार्गदर्शी तत्वों के अनुसार निधि के उचित प्रशासन के लिए मुंबई पत्तन प्राधिकरण के वित्त विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त समर्पित सेवाओं के लिए मैं उनकी प्रशंसा करना चाहूँगा.

मैं पेंशनरों को कुशल सेवाएँ प्रदान करने के लिए तथा उनकी शिकायतें दूर करने के लिए वित्त विभाग की पेंशन शाखा के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के प्रयासों की भी विशेषरूप से सराहना करता हूँ.

हस्ता /-

स्थान : मुंबई

**(डॉ. एम. अंगमुथु, आईएएस)**
अध्यक्ष, मुं.प.प्रा. पेंशन **निधि न्यास**

दिनांक : 21 नवंबर2025 ,

# MUMBAI PORT AUTHORITY PENSION FUND TRUST

# ADMINISTRATION REPORT 2024-25

---

I feel privileged to present the Administration Report of Mumbai Port Authority Pension Fund Trust for the year ended 31st March 2025.

Brief background of the formation of the Trust and performance of the Trust during the financial year 2024-25 is as under:

**1. Establishment of MbPA Pension Fund Trust (MbPAPFT)**

The MbPT (Pension Fund) Regulations have been framed in accordance with provisions of Income Tax Act, 1961. As per the MbPT (Pension Fund) Regulations, 2004 an irrevocable trust for managing Pension Fund has been created nominating Chairman, Dy. Chairman, Financial Adviser & Chief Accounts Officer, Secretary and Two Labour Trustees of the Mumbai Port Trust as the First Trustees of the 'Mumbai Port Trust Pension Fund Trust'. The MbPT Pension Fund Trust came into existence by executing Trust Deed on 14/01/2004 between Board of Trustees of Port of Mumbai and the First Trustees of Pension Fund Trust.

**2. Recognition to MbPT Pension Fund Trust :**

The Commissioner of Income Tax Range 12(1), Mumbai by order no.CIT 12/Pension Fund/2003-04 dated 1-3-2004 accorded approval to MbPT Pension Fund in terms of powers vested in him under Rule 2(1) of Part B of IV schedule to Income Tax Act, 1961. Ministry by its letter dated 6.4.2004 conveyed its approval to the Trust. The notification has been published in the Govt. Gazette dated 21 May 2004.

**3. Approval for change in Nomenclature of MbPT Pension Fund Trust**

The Central Government has appointed the 3rd day of November, 2021 as a date on which provision of Major Port Authorities Act, 2021, came into force. Same was published vide Gazette Notification No. S.O. 4504(E) dated 29.10.2021. Accordingly the MPA Act, 2021 came into force w.e.f. 03.11.2021. Ministry, thereafter, constituted the first Board of the Major Port Authorities vide Gazette Notification dated 31.01.2022.

Accordingly, the Board of Members of the Mumbai Port Authority vide TR No. 02 dated 15.02.2022 have accorded approval to the change the name of "Mumbai Port Trust" as "Mumbai Port Authority" w.e.f. 31.01.2022 i.e. the date of Gazette Notification.

To comply with above, the Trustees of MbPAPFT vide its Resolution No. 02 dated 12.05.2022, have accorded approval to the change the name of Mumbai Port Trust Pension Fund Trust (MbPTPFT) as Mumbai Port Authority Pension Fund Trust (MbPAPFT).

## 4. Fund Management by Life Insurance Corporation of India:

In compliance of Rule 89 of Income Tax Rules, 1962 in terms of Board of Trustees resolution No.48 dated 29.03.2004, Life Insurance Corporation of India (LIC) has been appointed as Fund Manager to manage Pension Fund. Every year actuarial valuation of Pension Liability towards existing and future pensioners is worked out by LIC. MbPA has contributed ₹. 1967.00 crore in LIC as an investment in MbPA-PFT.

The total investment with LIC as on 31.03.2025 is ₹. 11975.87 crore against ₹.10308.42 crore as on 31.03.2024. For the F.Y. 2024-25, LIC has declared interest @ 8.09 %. There is an increase in the returns declared by LIC from 8.08% in FY 2023-24 to 8.09% in FY 2024-25. The interest amounting to ₹. 875.46 crore earned on investments of ₹. 10308.42 crore.

## 5. Actuarial Valuation:

Every year data of existing employees and pensioners is forwarded to LIC and actuarial valuation certificate is furnished by them. For the F.Y. 2024-25 the LIC has worked out total actuarial liability of ₹. 13061.42 crore comprising of ₹. 10102.27 crore towards existing pensioners and ₹. 2959.15 crore towards future pensioners i.e. existing employees. This valuation has been done considering the salary escalation rate @ 6%.

**6. Contribution from MbPA :**

On the basis of such actuarial liability and in terms of guidelines provided in Mumbai Port Trust (Pension Fund) Regulations, 2004, yearly contribution is made by Mumbai Port Authority to the Pension Fund Trust to bridge the gap to the extent possible. During F.Y.2024-25 Mumbai Port Authority has transferred in MbPA-PFT an amount of ₹ 1967.00 out of which ₹ 95.00 crores were withdrawn and reinvested in pension fund. Similarly, in F.Y.2023-24 MbPA was contributed an amount of ₹.1495.00 crore to MbPA-PFT.

**7. Withdrawal from principal and accrued interest on Investment of Pension Fund with LIC of India for monthly pension payment.**

For the F.Y.2023-24, LIC had declared interest rate of 8.08%. However, for the F.Y.2024-25 interest rate @ 7.00% was estimated on conservative basis. Considering contribution of ₹. 1967.00 crores and estimated interest amount of ₹ 722.00 crores an amount of ₹. 1175.00 crores has been withdrawn during the year.

**8. Fund Position :**

The Investment balance as on 31.03.2025 is ₹. 11976.63 crore including CLTD Investment of ₹. 0.75 crore as against ₹. 10308.41.92 crore as on 31.03.2024. Considering actuarial valuation of ₹. 13061.42 crore as on 31.03.2025 comprising of ₹.10102.27 crore towards existing pensioners and ₹.2959.15 crore towards future pensioners(existing employees) there is a short funding of ₹. 1084.79 crore. The shortfall is expected to be made up on availability of surplus revenue in coming years.

**9. Financial Position** :

During the year, the Fund has earned interest income of ₹.875.46 crore on its investments. The pension payment of ₹. 1429.92 crore includes an accrued expenditure of ₹. 253.69 crore booked towards arrears arising due to Pension Revision, Consolidation & settlement and on account of pension withheld for non-receipt of Life certificates/Affidavits. Trust has incurred deficit of ₹. 451.04 crore during the year 2024-25 against the deficit of ₹. 410.92 crore in the previous financial year. The deficit has been charged to the Corpus.

## 10. Position of pensioners as on March–2024 & March-2025 :

### A. On the basis of Pension Paid :

| Sr. No. | Type of Pension | No. of Pensioners as on | |
|---|---|---|---|
| | | 31st March 2024 | 31st March 2025 |
| 1. | Superannuation | 19280 | 18792 |
| 2. | Family | 13824 | 13484 |
| 3. | Ex-Gratia | 413 | 348 |
| | **Total** | **33517** | **32624** |

### B. On the basis No of Pensioners:

| Sr. No | Particulars | No. of Pensioners as on | |
|---|---|---|---|
| | | 31st March 2024 | 31st March 2025 |
| 1. | Pension Paid | 33517 | 32624 |
| 2. | Temporarily Stopped for : | | |
| | i. Non submission of Aadhar Card, affidavit, medical certificate etc. | 207 | 0 |
| | ii. Non receipt of Life Certificate | 1353 | 789 |
| | **Total** | **35077** | **33413** |

## 11. No. of Pension cases finalized during the year :

| Type | FY 2023-2024 | FY 2024-2025 |
|---|---|---|
| Superannuation | 617 | 425 |
| Family | 583 | 565 |
| Ex-Gratia | 0 | 3 |
| **Total** | **1200** | **993** |

During the F.Y. 2024-25 the new pension cases increase by 2.97% as against 3.42% in the previous financial year.

## 12. No. of Death cases during the year :

| Type | FY 2023-2024 | FY 2024-2025 |
|---|---|---|
| Superannuation | 750 | 635 |
| Family | 519 | 461 |
| Ex-Gratia | 44 | 30 |
| **Total** | **1313** | **1126** |

During the F.Y. 2024-25 the death ratio is 3.37% as against 3.74% in the previous financial year.

## 13. No. of cases where pension is stopped due to non-receipt of life certificate:

| | No. of pensioners | Amount not paid (₹. in crore) |
|---|---|---|
| (i) Upto FY 2023-24 | 272 | 1.98 |
| (ii) During FY 2024-25 | 143# | 0.98 |

# Pension closed in July 2025

## 14. No. of Pensioners ( Persons with Disabilities) to whom pension is paid

| | No. of pensioners | Amount paid (₹. in crore) |
|---|---|---|
| During FY 2023-24 | 101 | 3.8 |

## 15. No. of pensioners to whom additional pension is paid.

| Age of pensioners / family pensioners | Additional Benefit (%) | Total pensioners 2023-24 | Total pensioner 2024-25 |
|---|---|---|---|
| From 80 years to less than 85 years | 20 | 329 | 190 |
| From 85 years to less than 90 years | 30 | 210 | 84 |
| From 90 years to less than 95 years | 40 | 119 | 56 |
| From 95 years to less than 100 years years | 50 | 16 | 14 |
| 100 years and above | 100 | 4 | 01 |
| **Total** | | **678** | **348** |

During the F.Y. 2024-25 total 1.04% pensioners are very senior citizen as against the 1.94% pensioners in the previous year.

**16. Details of D.A. paid to Pensioners :**

| Sr.No | Period | % for F.Y. 2023-2024 | | | % for F.Y. 2024-2025 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Base Index | | | Base Index | | |
| | | 126 | 277 | 359 | 126 | 277 | 359 |
| 1. | April-June | 204 | 38 | 6 | 218 | 45 | 11 |
| 2. | July-Sept | 206 | 39 | 8 | 218 | 45 | 12 |
| 3. | Oct-Dec | 217 | 44 | 11 | 225 | 45 | 12 |
| 4. | Jan-March | 216 | 44 | 11 | 225 | 48 | 14 |

The Base Index 126 is increased by 9% as on March-2025 as compared to March-2024
The Base Index 277 is increased by 4% as on March-2025 as compared to March-2024
The Base Index 359 is increased by 3% as on March-2025 as compared to March-2024

**16.1 Amount of Pension disbursement- Payment mode wise details:**

| Sr.No. | Payment mode | 2023-2024 | 2024-2025 |
|---|---|---|---|
| **A** | **Through Bank** | **(Rs. in Crore)** | **(Rs. in Crore)** |
| 1 | CBS(SBI) | 617.40 | 557.17 |
| 2 | ECS | 88.33 | 67.82 |
| 3 | NEFT | 616.95 | 569.46 |
| 4 | Net Accrued pension | -157.05* | 235.47# |
| | | **1165.63** | **1429.92** |

#Net accrued pension includes Accrued Pension Rs.232.05 crore after adjusting Rs.-3.42 crore closure outstanding as on 31.03.2025.

*Net accrued pension includes Accrued Pension Rs.-156.85 crore after adjusting Rs.-0.20 crore closure outstanding as on 31.03.2024

**16.2. Details of payment other than regular pension payment – any extra ordinary arrears etc paid during the year :**

Pension Arrears of Rs.0.41 crore paid in the month of April-2024 on account of Review of Pension and an amount of Rs.0.52 crore on account of Additional Commutation for Revision-2017 paid in the month of July-2024 during the F.Y. 2024-2025.

**16.3. Commutation payment :**

Total commuted value of pension amounting to ₹.61.13 crore is paid during the year which includes ₹. 60.61 crore regular payment of commutation and ₹ 0.52 crore on account of Additional Commutation for Revision-2017 as stated above.

**16.4. Amendments in Pension Rules / Regulations during the year:**

BR No. 170 dated 24.11.2023 passed by the Board in respect of Family Pension payable to more than one widow. Further extant MbPA Pension Regulations are being suitably updated as per provisions of MbPA 2021 on the line of CCS (Pension) Rules 1972. There is no amendment during 2024-25.

**16.5. Status of reimbursement / disbursement of Pension by LIC:**

₹. 1175.00 crore were withdrawn from Life Insurance Corporation of India (LIC) and ₹ 104.50 crore were also paid by MbPA during the FY 2024-25 for disbursement of pension.

**17. Other important Highlights:**

- **Highest Pension:**

  During the F.Y. 2024-25 highest pension paid is ₹. 1,45,553/- as against ₹. 1,40,668/- paid in previous financial year.

- **Digital Life Certificate:**

  A system for digital Life Certificate registration of pensioners through "E-Jeevan Praman" has been introduced from November-2016. During 2024-25 total 30301 no. of pensioners have availed the facility and forwarded their life certificates in digital form.

- **Mobile Apps MbPT E-Seva:**

  "MbPT e-seva" Application is for the convenience of pensioners to know the details of monthly pension to register their grievances to MbPT and to know the status of complaint lodged. It was introduced on website from November-2017 which is also accessible through android and IOS based mobile phones.

The following are the Menu available to the pensioners:

1. **My Profile Details :**

   Pensioners' details such as their PPO No, Status, AADHAR No., PAN Number, Date of Birth, Address, Date of Appointment, Date of Retirement, Account No., Bank Name etc. are available.

2. **Circulars :**

   Important circulars and life certificate forms are available for downloading.

3. **Feedback/Query :**

   The pensioners can register their grievances. The requests for change in address, marital status, bank details, KYC etc. can also be registered.

4. ERP implementation is on the verge.

## 18. Acknowledgment:

I extend my sincere thanks for the support and guidance of the Trustees of Mumbai Port Authority Pension Fund Trust. I am grateful to the Honorable Members of the Board of Mumbai Port Authority for strengthening the Pension Fund. I wish to thank officials of LIC for their co-operation and expect good returns for the ensuing years. I would like to place on record my appreciation of dedicated services rendered by the officers and staff of Finance Department of Mumbai Port Authority for proper administration of the Fund as per the extant Rules and guidelines mentioned in the Trust Deed.

I specially appreciate the efforts of Officials and staff of Pension Branch of Finance Department for providing efficient services to the pensioners and attending to their grievances promptly.

Place : Mumbai

Date : 21st NOVEMBER 2025 2617 21.11.2025

**( Dr. M. Angamuthu, IAS. )**
**CHAIRPERSON**
**MBPA-Pension Fund Trust**

# मुंबई पत्तन प्राधिकरण
# पेंशन निधि न्यास

# MUMBAI PORT AUTHORITY
# PENSION FUND TRUST

वार्षिक लेखा
ANNUAL ACCOUNTS
**2024 - 2025**

और **/And**

उसपर लेखापरीक्षा रिपोर्ट
THE AUDIT REPORT THEREON

वर्ष 2024-2025 की रिपोर्ट में अंतर्निहित लेखापरीक्षा संबंधी आपत्तियों/अवलोकनों आदि पर की गयी कार्रवाई के विवरण सहित

**WITH ACTION TAKEN NOTES ON AUDIT OBJECTIONS/OBSERVATIONS CONTAINED IN THE REPORT FOR THE YEAR 2024-2025**

# मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेन्शन फंड ट्रस्ट
## Mumbai Port Authority Pension Fund Trust
### 31.03.2025 का तुलन पत्र
### Balance Sheet as on 31.03.2025

| ब्यौरा/Particulars | SCHEDULE | As on 31.03.2025 | As on 31.03.2024 |
|---|---|---|---|
| | | (₹) | (₹) |
| **पेन्शन फंड लेखा और देयताएं / Pension Fund Account and Liabilities** | | | |
| पेन्शन फंड<br>Pension Fund | 1 | 1,17,42,16,93,127.20 | 1,03,20,40,63,854.56 |
| आरक्षित और अतिरिक्त<br>Reserves And Surpuls | --- | --- | --- |
| चिन्हित स्थायी निधि<br>Earmarked Endowment Funds | --- | --- | --- |
| सुरक्षित ऋण और अग्रिम<br>Secured Loans And Advances | --- | --- | --- |
| असुरक्षित ऋण और अग्रिम<br>Un-secured Loans and Advances | --- | --- | --- |
| अस्थागित जमा देयताएं<br>Deferred Credit Liabilities | --- | --- | --- |
| वर्तमान देयताएँ तथा प्रावधान<br>Current Liabilities and Provisions | 2 | 3,61,42,97,626.00 | 1,16,27,97,530.00 |
| **कुल/Total** | | **1,21,03,59,90,753.20** | **1,04,36,68,61,384.56** |
| **परिसंपत्तियाँ /Assets** | | | |
| नियत परिसंपत्तियाँ<br>Fixed Assets | --- | --- | --- |
| निवेश -पेन्शन निधिसे<br>Investments - From Pension Fund | 3 | 1,19,75,87,23,120.28 | 1,03,08,41,18,893.64 |
| निवेश - अन्य<br>Investments - Others | --- | --- | --- |
| वर्तमान परिसंपत्तियाँ ऋण तथा अग्रिम<br>Current Assets, Loans and Advances | 4 | 1,27,72,67,632.92 | 1,28,27,42,490.92 |
| फुटकर खर्च ( बट्टे खाते में न डाला हुआ )<br>Miscellaneous Expenditure (to the extent not written off) | --- | --- | --- |
| **कुल/Total** | | **1,21,03,59,90,753.20** | **1,04,36,68,61,384.56** |
| महत्वपूर्ण लेखा नीतियां/Significant Accounting Policies | 11 | | |
| लेखा पर टिप्पणियां / Notes on Accounts | 12 | | |

उपरोक्त तुलनपत्र मे मेरे/हमारे विश्वास से न्यास की निधि और देयताओं तथा परिसम्पत्ति और सम्पत्ति के सही लेखा समाविष्ट हैं।

The above Balance Sheet to the best of my/our belief contains a true account of the Funds and Liabilities and of the Property and Asset of the Trust.

| सुशील कुमार सिंह | आदेश तितरमारे | माधुरी वराडे | पी.एन. बाहेकर | प्रदीप नलावडे | ज्ञानेश्वर वाडेकर |
|---|---|---|---|---|---|
| अध्यक्ष | उपाध्यक्ष | सचिव | न्यासी | न्यासी | न्यासी |
| Sushil Kumar Singh | Adesh Titarmare | Madhuri Varade | P. N. Bahekar | Pradeep Nalavde | Dnyaneshwar Wadekar |
| Chairperson | Dy. Chairperson | Secretary | Trustee | Trustee | Trustee |

Date: 28th May 2025

Place: MUMBAI-01

# मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेन्शन फंड ट्रस्ट
## Mumbai Port Authority Pension Fund Trust
### 31.03.2025 को समाप्त वर्ष का आय-व्यय खाता
### Income And Expenditure Account for the year ended 31.03.2025

| ब्यौरा / Particulars | Schedule | for the year ended 31.03.2025 | for the year ended 31.03.2024 |
|---|---|---|---|
| | | (₹) | (₹) |
| **आय/Income** | | | |
| निवेशोंसे आय ( पेंशन निधि से किए गए निवेश पर आय --निधि में अंतरित )/ Income from Investments (Income on Inv. from Pension Fund) | 5 | 12,22,523.00 | 7,48,58,74,395.83 |
| पेंशन भुगतान के संवितरण के लिए एमबीपीए से भुगतान / Payment recd.from MbPA for disbursement of pension payments | 6 | 1,04,50,00,000.00 | 6,00,00,000.00 |
| प्राप्त ब्याज/Interest Earned | 7 | 8,75,46,04,226.64 | 11,90,052.00 |
| अन्य आय□निवेश कि विकि पर लाभ□Other Income (Profit on sale of investment) | --- | - | - |
| अंतिम उत्पाद □जारी कार्य मे वृध्दि Increase/Decrease in Stock of Finished Goods & Work in Progress | --- | - | - |
| विलंबित भुगतान पर ब्याज / Interest on Delayed Payment | 9 | 2,09,055.00 | - |
| **कुल(क)/Total (A)** | --- | **9,80,10,35,804.64** | **7,54,70,64,447.83** |
| **व्यय/Expenditure** | | | |
| **स्थापना व्यय / Establishment Expenses** | 8 | | |
| i) निवृत्ती वेतन वितरण / Pension Disbursement | --- | 14,29,91,70,027.00 | 11,65,62,90,973.00 |
| अन्य प्रशासकीय व्यय /Other Administrative Expenses | --- | --- | --- |
| अनुदानों आर्थीक सहायता पर व्यय/Expenditure on Grants, Subsidies etc. | --- | --- | --- |
| निवेश के पतिदान पर घाटा / Loss on redemption of Investments | --- | --- | --- |
| ब्याज / Interest | --- | --- | --- |
| पिछले वर्ष मे संबंधित मद Item Related to Previous Year | --- | --- | --- |
| संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान / Provision for Doubtful Debts | 10 | 1,22,99,927.00 | --- |
| **कुल(ख)/ Total (B)** | --- | 14,31,14,69,954.00 | 11,65,62,90,973.00 |
| **व्यय से आय अधिक होने से शेष (क-ख) / Balance being excess of Income over Expenditure (A-B)** | --- | --- | --- |
| **आय से व्यय अधिक होने से घाटा (क-ख) / Deficit being excess of Expenditure over Income (A-B)** | --- | 4,51,04,34,149.36 | 4,10,92,26,525.17 |
| विशेष आरक्षित मे अंतरित / Transfer to Special Reserve | --- | --- | --- |
| सामान्य आरक्षित मे□से अंतरित /Transfer to/from General Reserve | --- | --- | --- |
| पेन्शन फंड मे आगे लाया गया / Surplus carried to Pension Fund | --- | --- | --- |
| **पेन्शन फंड मे से घाटा निकाला गया / Deficit withdrawn from Pension Fund** | --- | **4,51,04,34,149.36** | **4,10,92,26,525.17** |
| महत्वपूर्ण लेखा नीतियां / Significant Accounting Policies | 11 | | |
| लेखा पर टिप्पणियां / Notes on Accounts | 12 | | |

| सुशील कुमार सिंह | आदेश तितरमारे | माधुरी वराडे | पी.एन. बाहेकर | प्रदीप नलावडे | ज्ञानेश्वर वाडेकर |
|---|---|---|---|---|---|
| अध्यक्ष | उपाध्यक्ष | सचिव | न्यासी | न्यासी | न्यासी |
| Sushil Kumar Singh | Adesh Titarmare | Madhuri Varade | P. N. Bahekar | Pradeep Nalavde | Dnyaneshwar Wadekar |
| Chairperson | Dy. Chairperson | Secretary | Trustee | Trustee | Trustee |

Date : 28th May 2025

Place: MUMBAI-01

# मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेन्शन फंड ट्रस्ट
# Mumbai Port Authority Pension Fund Trust

**31.03.2025 को समाप्त वर्ष की प्राप्तियां एवं भुगतान**

**Receipts and Payments for the year ended 31.03.2025**

| प्राप्ति Receipt | 2024-25 | 2023-24 | भुगतान Payments | 2024-25 | 2023-24 |
|---|---|---|---|---|---|
| | (₹) | (₹) | | (₹) | (₹) |
| **I. अधिशेष / Opening Balances** | | | **I. व्यय / Expenses** | | |
| a) हाथ मे रोकड / a) Cash in hand | --- | --- | a) स्थापना व्यय (निवृत्ति वेतन वितरण) a) Establishment Expenses (Pension Disbursement) | 11,97,36,11,866.00 | 13,29,61,96,198.00 |
| b) बैंक शेष / b) Bank Balances | --- | --- | b) प्रशासनिक व्यय / b) Administrative Expenses | 708.00 | 832.79 |
| i) चालू खाते में / In current accounts | | | | | |
| इंडियन बैंक - Indian Bank | 6,21,10,148.50 | 6,30,85,333.50 | | | |
| भारतीय स्टेट बैंक - State Bank of India | 2,81,621.32 | 79,76,01,864.32 | | | |
| (ii) जमा खातों मे / In deposit accounts | --- | --- | **II. विभिन्न परियोजनाओ के निधियों के लिए भुगतान** Payments made against funds for various projects | --- | --- |
| (iii) बचत खातों में / Savings accounts | --- | --- | | | |
| | | | **III नये निवेश/जमा** Investments and deposits made | | |
| **II. प्राप्त अनुदान / Grants Received** | --- | --- | a) चिन्हित स्थायी निधी से / a) Out of Earmarked/ Endowment funds | --- | --- |
| a) भारत सरकार से / a) From Government of India | --- | --- | b) खुद के निधी से (एलआयसी मे) b)Out of Own Funds (Investments with LIC) | 19,67,00,00,000.00 | 14,95,00,00,000.00 |
| b) राज्य सरकार से / b) From State Government | --- | --- | c) मियादी जमा (सीएलटीडी) / c) Term Deposit (CLTD) | 2,55,92,73,000.00 | 2,77,44,56,000.00 |
| c) अन्य स्त्रोंत से / c)From other sources | --- | --- | | | |
| | | | **IV. नियत परिसम्पत्तियो तथा जारी कार्यो पर व्यय** Expenditure on Fixed Assets & Capital Work In Progress | | |
| **III. निम्न से निवेशो पर प्राप्त आय.** Income on Investments from :- | | | a) नियत परिसम्पत्तियो की खरीद | --- | --- |
| अ) चिन्हित स्थायी निधि ब्याज a) Earmarked/Endow Funds (Interest) | --- | --- | a) Purchase of Fixed Assets | --- | --- |
| मोचन पर लाभ Profit on redumption | --- | --- | b) जारी कार्यो पर व्यय | --- | --- |
| ब) खुद के निधी से (अन्य निवेश) | --- | --- | b) Expenditure on Capital WIP | --- | --- |
| b) Own Funds (other Investment) | --- | --- | | | |
| | | | **V. ऋण की धन वापसी / Refund of Loans** | | |
| **IV. प्राप्त ब्याज / Interest Received** | | | a) भारत सरकार से / From Government of India a) | --- | --- |
| अ) बैंक जमा पर (सीएलटीडी)/ a) On Bank Deposits (CLTD) | 12,22,523.00 | 5,65,244.00 | b) राज्य सरकार से / From State Government b) | --- | --- |
| ब) ऋण अग्रिम आदि / b) Loans & Advances etc | --- | --- | c) अन्य / c) Other | --- | --- |

cont pg4

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **V. अन्य आय / Other Income** | | | **VI. वित्तीय प्रभार / Finance Charges** | --- | --- |
| a) मु.प.पा. ने किया अंशदान<br>a) Contribution by MBPA | 18,72,00,00,000.00 | 13,73,30,48,158.00 | **VII. अन्य भुगतान / Other Payments** | --- | --- |
| b) अंशदान - कर्मचारियों कि अन्यत सेवा b)<br>Foreing Service Contibution | 2,06,91,562.00 | 2,03,48,973.00 | a) अंशदान - कर्मचारियों कि अन्यत सेवा a)<br>Foreing Service Contibution | 1,08,19,756.00 | 78,12,750.00 |
| c) अवधि समाप्ती निवेश /)<br>Invst.Matured (including CLTD) | 2,58,79,19,592.00 | 2,76,47,10,532.79 | **VIII. इतिशेष / Closing Balances** | | |
| d) एलआईसी से निकासी<br>d) Withdrawal from LIC | 11,75,00,00,000.00 | 12,34,50,00,000.00 | a) हाथ मे रोकड / a) Cash in hand | --- | --- |
| e) संवितरण के लिए मु.प.पा. से प्राप्त<br>e) Amt given by MbPA for disbursement | 1,04,50,00,000.00 | 6,00,00,000.00 | b) बैंक शेष / b) Bank Balances | --- | --- |
| **VI. उधार राशी / Amount Borrowed** | | | | | |
| **VII. कोइ अन्य प्राप्तीयॉ / Any other receipts** | | | i) चालू खाते में /<br>i) In current accounts | | |
| a) मु.प.पा. से प्राप्त (शेष के प्रती) /<br>a) Received from MbPA (against outstanding receivables) | --- | 1,21,69,51,842.00 | इंडियन बैंक -<br>Indian Bank | 6,04,47,922.50 | 6,21,10,148.50 |
| b) निवृत्ति वेतन बन्द होने से प्राप्य /<br>b) Amount received on account of Pension Closure | 3,42,50,167.00 | 2,27,69,088.00 | भारतीय स्टेट बैंक -<br>State Bank of India | 92,58,672.32 | 2,81,621.32 |
| c) वितरण की वापसी /<br>c) Disbursement Returned | 57,50,146.00 | 58,27,248.00 | (ii) जमा खातों मे /<br>In deposit accounts | --- | --- |
| d) ईसीएस भुगतान (मार्च 2023) के लिए इंडियन बैंक में प्राप्त<br>d) received in Indian Bank for ECS payment march 2025 | 5,61,86,165.00 | 6,09,49,267.00 | (iii) बचत खातों में /<br>Savings accounts | --- | --- |
| **कुल / Total** | **34,28,34,11,924.82** | **31,09,08,57,550.61** | **कुल / Total** | **34,28,34,11,924.82** | **31,09,08,57,550.61** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| सुशील कुमार सिंह<br>अध्यक्ष<br>Sushil Kumar Singh<br>Chairperson | आदेश तितरमारे<br>उपाध्यक्ष<br>Adesh Titarmare<br>Dy. Chairperson | माधुरी दराडे<br>सचिव<br>Madhuri Varade<br>Secretary | पी.एन. बाहेकर<br>न्यासी<br>P. N. Bahekar<br>Trustee | प्रदीप नलावडे<br>न्यासी<br>Pradeep Nalavde<br>Trustee | ज्ञानेश्वर वाडेकर<br>न्यासी<br>Dnyaneshwar Wadekar<br>Trustee |

Date 28th May 2025

Place: MUMBAI-01

# मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेन्शन फंड ट्रस्ट

**Mumbai Port Authority Pension Fund Trust**

**31.03.2025 के तुलनपत्र की अनुसूची 1**

**Schedule - 1 to the Balance Sheet as at 31.03.2025**

**अनुसूची : निवृत्ती वेतन निधी / Schedule : PENSION FUND**

| | as on 31.03.2025 | | | as on 31.03.2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (₹) | (₹) | (₹) | (₹) | (₹) | (₹) |
| **01.04.2024 को अधिशेष / Opening Balance as on 01.04.2024** | | | 1,03,20,40,63,854.56 | | | 93,54,82,41,917.73 |
| **जोडे : अंशदान/अन्य प्राप्तीयाँ / Add : Contributions/Other Receipts** | | | | | | |
| 1) अंशदान / Contribution | | | | | | |
| a) मु.प.प्रा. ने किया / 2024-25 मे निवृत्ती वेतन के भुगतान के लिए हस्तांगीत कि गई राशी व्दारा / Amounts by way of Transfers during the year 2024-25 for disbursement of Pension | - | | | - | | |
| b) एलआईसी मे की गई निवेश / Amount invested with LIC | 18,72,00,00,000.00 | | | 14,95,00,00,000.00 | | |
| c) बीडीएलबी से की गई भुगतान / Payments made by BDLB | | | | - | | |
| | | 18,72,00,00,000.00 | | | 14,95,00,00,000.00 | |
| 2) कर्मचारियों कि अन्यत सेवा / Foreign Service Contribution | 2,27,11,406.00 | | | 2,14,78,888.00 | | |
| 3) निवृत्त सीपीएफ कर्मचारियीं का विश्वस्तीं का अंशदान पेंशन फंड को हस्तांतगीत किया / Trustess Contibution to PF in respect of CPF employees Transferred to Pension Fund | 66,48,957.00 | | | 2,00,76,299.00 | | |
| 4) वर्ष 2024-25 का अधिशेष पूर्ती मे लाया गया / Surplus of the year 2024-25 transferred to Pension Fund | - | - | | - | - | |
| | | 2,93,60,363.00 | 18,74,93,60,363.00 | | 4,15,55,187.00 | 14,99,15,55,187.00 |
| **घटाएं : भुगतान / अन्य आकार / Less : Payments / Other Charges** | | | | | | |
| 1) अंशदान का भुगतान / Contribution Payment | 2,12,96,941.00 | | | 95,54,883.00 | | |
| 2) मु.प.प्रा. से बकाया प्राप्तियों के प्रती प्राप्त / Received from MbPA (against outstanding receivables) | | | | 1,21,69,51,842.00 | | |
| 3) वर्ष 2024-25 के लिए घाटा पेंशन फंड में लगाया गया / Deficit for the year 2024-25 charged to Pension Fund | 4,51,04,34,149.36 | | | 4,10,92,26,525.17 | | |
| | | 4,53,17,31,090.36 | 4,53,17,31,090.36 | | 5,33,57,33,250.17 | 5,33,57,33,250.17 |
| **31.03.2025 को इतिशेष / Closing Balance as on 31.03.2025** | | | 1,17,42,16,93,127.20 | | | 1,03,20,40,63,854.56 |

(माधुरी वराडे)
सचिव
(Madhuri Varade)
Secretary

# मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेन्शन फंड ट्रस्ट

Mumbai Port Authority Pension Fund Trust

**31•03•2025 के तुलनपत्र की अनुसूची - 2**

**Schedule - 2 to the Balance Sheet as on 31.03.2025**

**अनुसूची : वर्तमान देयताएँ तथा प्रावधान**

**Schedule : Current Liabilities and Provisions**

| | as on 31.03.2025 | | as on 31.03.2024 | |
|---|---|---|---|---|
| | (₹) | (₹) | (₹) | (₹) |
| **प्रोदभूत देयताएँ / Accrued Liabilities** | | | | |
| निवृत्ति वेतन भुगतान / Pension Payments | 2,53,68,86,765.00 | | 21,64,17,536.00 | |
| | | 2,53,68,86,765.00 | | 21,64,17,536.00 |
| **विविध लेनदार / Sundry Creditors** | | | | |
| निवृत्ति वेतन लाभार्थी / Pensioners | 1,07,60,49,405.00 | | 94,53,16,792.00 | |
| अन्य / Others | 13,61,456.00 | | 10,63,202.00 | |
| | | 1,07,74,10,861.00 | | 94,63,79,994.00 |
| कुल/Total | | 3,61,42,97,626.00 | | 1,16,27,97,530.00 |

(माधुरी वराडे)
सचिव
(Madhuri Varade)
Secretary

# मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेन्शन फंड ट्रस्ट
Mumbai Port Authority Pension Fund Trust

## 31•03•2025 के तुलनपत्र की अनुसूची -3
**Schedule - 3 to the Balance Sheet as at 31.03.2025**

## अनुसुची ः एलआईसी के साथ पेंशन फंड से निवेश
Schedule :Investments from Pension Fund With LIC

| निवेशों के सूची<br>List of Investment | as at 31.03.2025 | | as at 31.03.2024 | |
|---|---|---|---|---|
| | अंकित मुल्य | लागत मुल्य | अंकित मुल्य | लागत मुल्य |
| | Face Value | Cost Value | Face Value | Cost Value |
| | (₹) | (₹) | (₹) | (₹) |
| **Long Term Investments:-** | | | | |
| i) एलआयसी के पास / With LIC | 1,19,75,87,23,120.28 | 1,19,75,87,23,120.28 | 1,03,08,41,18,893.64 | 1,03,08,41,18,893.64 |
| कुल(व)/Total | **1,19,75,87,23,120.28** | **1,19,75,87,23,120.28** | **1,03,08,41,18,893.64** | **1,03,08,41,18,893.64** |
| उध्दरित न किए निवेश /<br>**Unquoted Investments .....** | **1,19,75,87,23,120.28** | **1,19,75,87,23,120.28** | **1,03,08,41,18,893.64** | **1,03,08,41,18,893.64** |

(माधुरी वराडे)
सचिव
(Madhuri Varade)
Secretary

# मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेन्शन फंड ट्रस्ट

## Mumbai Port Authority Pension Fund Trust

31.03.2025 के तुलनपत्र की अनुसूची-4

Schedule - 4 to the Balance Sheet as on 31.03.2025

वर्तमान परिसंपत्तियॉ ऋण तथा अग्रिम

Current Assets, Loans , Advances & Other Assets

| | (₹) | (₹) | (₹) | (₹) |
|---|---|---|---|---|
| | as on 31.03.2025 | | as on 31.03.2024 | |
| **A. वर्तमान संपत्ति / A. CURRENT ASSETS :** | | | | |
| **1. विविध देनदार / Sundry Debtors** | | | | |
| **मुं• प• प्रा• से प्राप्य /Receivable from MBPA** | | | | |
| i) छह महीने से अधिक समय से बकाया/ Outstanding for more than six months | 1,14,40,40,010.89 | | 1,09,69,50,704.10 | |
| ii) अन्य/Others | 2,56,59,710.21 | 1,16,96,99,721.10 | 4,73,89,930.79 | 1,14,43,40,634.89 |
| निवृत्ति वेतन लाभार्थीयो से प्राप्य / **Receivable from Pensioners** | | | | |
| i) छह महीने से अधिक समय से बकाया/ Outstanding for more than six months | 3,95,51,254.00 | | 3,31,08,015.00 | |
| ii) अन्य/Others | 30,27,833.00 | | 64,73,628.00 | |
| Total | 4,25,79,087.00 | | 3,95,81,643.00 | |
| Less: संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान / Provision for Doubtful Debts | 1,22,99,927.00 | 3,02,79,160.00 | - | 3,95,81,643.00 |
| | | **1,19,99,78,881.10** | | **1,18,39,22,277.89** |
| **2 . बैंक शेष / Bank Balances** | | | | |
| **अनुसूचित बैंकों के साथ / With Scheduled Banks** | | | | |
| इंडियन बैंक - खाता कं 415242112<br>Indian Bank - A/C No. 415242112 | 6,04,47,922.50 | | 6,21,10,148.50 | |
| भारतीय स्टेट बैंक - खाता कं 10996687573<br>State Bank of India - A/C No.10996687573 | 92,58,672.32 | 6,97,06,594.82 | 2,81,621.32 | 6,23,91,769.82 |
| बैंकों के साथ सावधि जमा (सीएलटीडी)<br>Term Deposit with banks (CLTD) | | | | |
| i) लंबी अवधि के निवेश / Long Term Investments | - | | - | |
| ii) वर्तमान निवेश / Current Investments | 75,34,564.00 | 75,34,564.00 | 3,50,30,593.21 | 3,50,30,593.21 |
| | | **7,72,41,158.82** | | **88,59,72,197.82** |
| **कुल [A]/Total [A]** | | **1,27,72,20,039.92** | | **3,23,74,61,981.92** |
| | | | | |
| **B. Loans, Advances and Other Assets/ ऋण, अग्रिम और अन्य संपत्तियां** | | | | |
| **1) प्रोदभूत आय / Accrued Income** | | | | |
| सीएलटीडी जमा पर प्रोदभूत व्याज / Accrued Interest on CLTDs | 47,593.00 | | 13,97,850.00 | |
| **कुल [B]/Total [B]** | | 47,593.00 | | 13,97,850.00 |
| **कुल [A+B]/Total [A+B]** | | **1,27,72,67,632.92** | | **1,28,27,42,490.92** |

(माधुरी वराडे)
सचिव
(Madhuri Varade)
Secretary

# मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेन्शन फंड ट्रस्ट
## Mumbai Port Authority Pension Fund Trust

31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के लिए अनुसूची- 5

Schedule-5- to the Income & Expenditure For The Year Ended 31.03.2025

अनुसूची - निवेश से आय
Schedule - INCOME FROM INVESTMENTS

| | for the year ended 31.03.2025 | for the year ended 31.03.2024 |
|---|---|---|
| | (₹) | (₹) |
| (पेंशन फंड से निवेश पर आय)<br>(Income on Investments from Pension Fund) | | |
| i) ब्याज<br>i) Interest | | |
| a) एलआईसी से<br>a) From LIC | 8,75,46,04,226.64 | 7,48,58,74,395.83 |
| b) अन्य<br>b) Others | - | - |
| कुल / TOTAL | 8,75,46,04,226.64 | 7,48,58,74,395.83 |
| पेंशन फंड से निवेश पर आय /Income on Investments from Pension Fund | 8,75,46,04,226.64 | 7,48,58,74,395.83 |

(माधुरी वराडे)
सचिव
(Madhuri Varade)
Secretary

# मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेन्शन फंड ट्रस्ट

## Mumbai Port Authority Pension Fund Trust

31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के लिएअनुसूची- 6

**Schedule-6- to the Income & Expenditure For The Year Ended 31.03.2025**

अनुसूची - पेंशन भुगतान के संवितरण के लिए एमबीपीए से प्राप्त भुगतान
**Schedule - Payment recd.from MBPA for disbursement of pension payments**

| | for the year ended 31.03.2025 | for the year ended 31.03.2024 |
|---|---|---|
| | (₹) | (₹) |
| पेंशन भुगतान के संवितरण के लिए एमबीपीए से प्राप्त भुगतान / Payment recd. from MbPA for disbursement of pension payments | 1,04,50,00,000.00 | 6,00,00,000.00 |
| कुल / TOTAL | **1,04,50,00,000.00** | **6,00,00,000.00** |

(माधुरी वराडे)
सचिव
(Madhuri Varade)
Secretary

# मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेन्शन फंड ट्रस्ट

# Mumbai Port Authority Pension Fund Trust

## 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के लिए अनुसूची- 7

## Schedule-7- to the Income & Expenditure For The Year Ended 31.03.2025

## अर्जित ब्याज / Interest Earned

| | for the year ended 31.03.2025 | for the year ended 31.03.2024 |
|---|---|---|
| | (₹) | (₹) |
| अर्जित ब्याज / Interest Earned | | |
| i) सावधि जमा पर / On Term Deposits : | | |
| a) अनुसूचित बैंकों के साथ / With Scheduled Banks | 12,22,523.00 | 11,90,052.00 |
| b) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ / With Non-Scheduled Banks | - | - |
| कुल / TOTAL[A] | 12,22,523.00 | 11,90,052.00 |
| ii) बचत खातों पर / On Savings Accounts : | | |
| a) अनुसूचित बैंकों के साथ / With Scheduled Banks | - | - |
| b) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ / With Non-Scheduled Banks | - | - |
| कुल / TOTAL[B] | - | - |
| कुल / TOTAL[A+B] | **12,22,523.00** | **11,90,052.00** |

(माधुरी वराडे)
सचिव
(Madhuri Varade)
Secretary

# मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेन्शन फंड ट्रस्ट

## Mumbai Port Authority Pension Fund Trust

### 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के लिए अनुसूची-8

### Schedule-8- to the Income & Expenditure For The Year Ended 31.03.2025

**अनुसूची - स्थापना व्यय (पेंशन संवितरण)**
**Schedule- ESTABLISHMENT EXPENSES (PENSION DISBURSEMENT)**

| | for the year ended 31.03.2025 | for the year ended 31.03.2024 |
|---|---|---|
| | (₹) | (₹) |
| **स्थापना व्यय (पेंशन संवितरण) / ESTABLISHMENT EXPENSES (PENSION DISBURSEMENT)** | | |
| i) अधिवर्षिता निवृत्ती वेतन भुगतान / Superannuation Pension Payments | 9,24,61,70,238.00 | 7,54,69,04,071.00 |
| ii) निवृत्ती वेतन कम्यूटेशन / PENSION COMMUTATION - P. O. No. 532/05.06.2018 | 62,20,74,158.00 | 61,10,58,290.00 |
| iii)पारिवारिक निवृत्ती वेतन भुगतान / Family Pension Payments | 4,40,91,63,239.00 | 3,48,97,60,603.00 |
| iv) सानुग्रह निवृत्ती वेतन अनुदान भुगतान / Ex-Gratia Pension Payments | 2,17,62,392.00 | 85,68,009.00 |
| **कुल / TOTAL** | **14,29,91,70,027.00** | **11,65,62,90,973.00** |

(माधुरी वराडे)
सचिव
(Madhuri Varade)
Secretary

# मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेन्शन फंड ट्रस्ट
## Mumbai Port Authority Pension Fund Trust

### 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के लिए अनुसूची-9
### Schedule-9- to the Income & Expenditure For The Year Ended 31.03.2025

**अनुसूची - विलंबित भुगतान पर ब्याज**
**Schedule- INTEREST ON DELAYED PAYMENT**

| | for the year ended 31.03.2025 | for the year ended 31.03.2024 |
|---|---|---|
| | (₹) | (₹) |
| विलंबित भुगतान पर ब्याज /INTEREST ON DELAYED PAYMENT | 2,09,055.00 | - |
| कुल / TOTAL | **2,09,055.00** | **-** |

(माधुरी वराडे)
सचिव
(Madhuri Varade)
Secretary

# मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेन्शन फंड ट्रस्ट
## Mumbai Port Authority Pension Fund Trust
### 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के लिए अनुसूची-10
### Schedule-10- to the Income & Expenditure For The Year Ended 31.03.2025

**अनुसूची - संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान**
**Schedule-Provision for Doubtful Debts**

| | for the year ended 31.03.2025 | for the year ended 31.03.2024 |
|---|---|---|
| | (₹) | (₹) |
| संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान / Provision for Doubtful Debts | 1,22,99,927.00 | - |
| कुल / TOTAL | **1,22,99,927.00** | - |

(माधुरी वराडे)
सचिव
(Madhuri Varade)
Secretary

# महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ और खातों पर टिप्पणियाँ
# को समाप्त वर्ष के लिए 2025 मार्च 31

केंद्र सरकार ने 3 नवंबर, 2021 को महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 के प्रावधान लागू होने की तिथि निर्धारित की है। इसे राजपत्र अधिसूचना संख्या एस.ओ. 4504(ई) दिनांक 29.10.2021 के माध्यम से प्रकाशित किया गया था। तदनुसार, महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021, 03.11.2021 से लागू हुआ। इसके बाद, मंत्रालय ने राजपत्र अधिसूचना दिनांक 31.01.2022 के माध्यम से महापत्तन प्राधिकरणों के पहले बोर्ड का गठन किया। तदनुसार, मुंबई पत्तन प्राधिकरण के सदस्यों के बोर्ड ने टीआर संख्या 02 दिनांक 15.02.2022 के माध्यम से "मुंबई पत्तन न्यास " का नाम बदलकर "मुंबई पत्तन प्राधिकरण" करने को 31.01.2022 अर्थात राजपत्र अधिसूचना की तिथि से अनुमोदित कर दिया है।

उपरोक्त के अनुपालन हेतु, एमबीपीएपीएफटी के न्यासियों ने अपने संकल्प संख्या 02 दिनांक 12.05.2022 के माध्यम से मुंबई पत्तन न्यास पेंशन निधि न्यास (एमबीपीटीपीएफटी) का नाम बदलकर मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास (एमबीपीएपीएफटी) करने की स्वीकृति प्रदान की है। ट्रस्ट विलेख में संशोधन करके पैन में नाम संशोधित करने की प्रक्रिया जारी है।

**अनुसूची .11महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ:**

(i) लेखांकन प्रणाली को निधि के वित्तीय लेन-देनों को प्रस्तुत करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।

(ii) वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपरा के अनुसार और लेखांकन के उपार्जन आधार पर तैयार किए जाते हैं। लेखाओं का प्रस्तुतीकरण नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा निर्दिष्ट निर्धारित प्रारूप के अनुसार होता है, अर्थात केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए लेखाओं का एक समान प्रारूप है।

(iii) निवेश -
लेखांकन मानक 13 के अनुसार, निवेश से संबंधित जानकारी, अर्थात् उद्धृत और गैर-उद्धृत निवेशों की कुल राशि (एलआईसी के साथ निवेश सहित), तुलन पत्र की अनुसूची III में प्रकट की गई है। कमीशन और संबद्ध मदों को ध्यान में रखते हुए निवेशों का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।

(iv) राजस्व मान्यता -

(a) ब्याज का लेखा उपार्जन आधार पर किया जाता है।

(v) अशोध्य ऋण मान्यता

लेखा मानक के अनुसार, अशोध्य और संदिग्ध ऋणों से संबंधित जानकारी तुलन पत्र की अनुसूची IV में प्रकट की गई है। पेंशनभोगियों से वसूली योग्य उन राशियों के संबंध में अशोध्य ऋणों का प्रावधान किया गया है जो 31.03.2025 तक 5 वर्षों से अधिक समय से बकाया हैं।

**अनुसूची .12लेखों पर टिप्पणियाँ:**

I. केंद्र सरकार ने पोथ परिवहन मंत्रालय (पोर्ट विंग) के माध्यम से अधिसूचना संख्या PR-12016/24/2002-PE-I दिनांक 21.05.2004 द्वारा मुंबई पत्तन न्यास (पेंशन निधि) विनियम, 2004 को मंजूरी दी, जिसकी अधिसूचना भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3 में जीएसआर संख्या 341(ई) के तहत प्रकाशित हुई। उपखंड 3(i) दिनांक 21.05.2004 मुंबई पत्तन न्यास पेंशन निधि न्यास, मुंबई पत्तन न्यास के न्यासी बोर्ड और पेंशन निधि न्यास के न्यासियों के बीच 14 जनवरी 2004 को निष्पादित ट्रस्ट डीड के आधार पर अस्तित्व में आया। आयकर आयुक्त, रेंज 12(1), मुंबई द्वारा आदेश क्रमांक सीआईटी 12/पेंशन फंड/2003-04 दिनांक 1-3-2004 द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की अनुसूची IV के भाग बी के नियम 2(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार, कुछ शर्तों के अधीन, मुं, प. प्रा. पेंशन निधि को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांक 6.4.2004 द्वारा ट्रस्ट को अपनी स्वीकृति प्रदान की। यह अधिसूचना 21 मई 2004 के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित की गई है।

II. पोथ परिवहन मंत्रालय (पत्तन स्कंध) द्वारा जारी अधिसूचना संख्या LB-13022/4/1997-L-IV/DO(I) दिनांक 09.01.2015 द्वारा, बॉम्बे डॉक लेबर बोर्ड का 01.01.2015 से कानूनी रूप से मुंबई पत्तन न्यास में विलय कर दिया गया है। इस प्रकार, 01.01.2015 से पूर्व बीडीएलबी के मौजूदा और भावी पेंशनभोगियों के प्रति पेंशन देयता मुं, प. प्रा. पेंशन निधि न्यास द्वारा वहन की जाती है और पेंशन भुगतान पर होने वाले व्यय का लेखा मुं, प. प्रा. पेंशन निधि न्यास की पुस्तकों में दर्ज किया जाता है।

iii. आयकर नियम, 1962 के नियम 89 का अनुपालन करने के लिए न्यासी बोर्ड के संकल्प संख्या 48 दिनांक 29.03.2004 के अनुसार, पेंशन निधि का प्रबंधन करने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम को फंड मैनेजर के रूप में नियुक्त किया गया है। मौजूदा और भविष्य के पेंशनभोगियों के लिए हर साल बीमांकिक पेंशन देयता उनके द्वारा तैयार की जाती है। इस तरह की बीमांकिक देयता के आधार पर और मुंबई पत्तन प्राधिकरण (पेंशन निधि) विनियम, 2004 में दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार, मुंबई पत्तन प्राधिकरण द्वारा मुं, प. प्रा. पेंशन निधि न्यास (एमबीपीए-पीएफटी) में वार्षिक योगदान दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान मुंबई पत्तन प्राधिकरण ने एमबीपीए-पीएफटी में ₹ 1976,50,00,000 (₹ 1976.50 करोड़) और पेंशन भुगतान के संवितरण के लिए ₹ 104,50,00,000 (₹ 104.50 करोड़) की राशि का योगदान दिया है। विवरण अनुसूची I में दर्शाया गया है।

iv. **एलआईसी द्वारा निधि प्रबंधन**

क) पॉलिसी संख्या 692067 के अनुसार, एलआईसी को पेंशन निधि का प्रबंधन सौंपा गया है। प्रत्येक वर्ष बीमांकिक देयताओं को पूरा करने के लिए, एलआईसी में धनराशि का निवेश किया जाता है। एलआईसी में निवेश पर प्राप्त ब्याज भी एलआईसी के पास ही रखा जाता है। वर्ष के दौरान, एलआईसी में ₹1967,00,00,000 (₹1967.00 करोड़) की राशि निवेश की गई है, जिसमें ₹1872,00,00,000 (₹1872.00 करोड़) और पेंशन निधि में ₹95,00,00,000 (₹95.00 करोड़) की निकासी और पुनर्निवेश शामिल है। इसी प्रकार, पेंशनभोगियों को मासिक पेंशन भुगतान के लिए निधि से ₹1175,00,00,000 (₹1175.00 करोड़) की राशि निकाली गई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एलआईसी से 8.09% प्रति वर्ष की दर से ₹875,46,04,226.64 (₹875.46 करोड़) का ब्याज प्राप्त हुआ है। 31.03.2025 तक एलआईसी के पास वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ब्याज सहित कुल निवेश ₹11975,87,23,120.28 (₹11975.87 करोड़) है। 31.03.2024 तक निवेश ₹10308,41,18,893.64 (₹10308.41 करोड़) था।

**ख (बीमांकिक मूल्यांकन**

भारतीय जीवन बीमा निगम ने 31.03.2025 तक कुल ₹13061.42 करोड़ की बीमांकिक देनदारी की सूचना दी है, जिसमें मौजूदा पेंशनभोगियों के लिए ₹10102.27 करोड़ और भावी पेंशनभोगियों (मौजूदा कर्मचारियों) के लिए ₹2959.15 करोड़ शामिल हैं।

यह मूल्यांकन 6% की वेतन वृद्धि दर को ध्यान में रखते हुए किया गया है। 31.03.2025 तक ₹11976.63 करोड़ के निवेश शेष को ध्यान में रखते हुए, निधि में ₹1084.79 करोड़ की कमी है, जिसकी पूर्ति आगामी वर्षों में अधिशेष राजस्व की उपलब्धता पर की जाएगी।

**ग (निधि प्रबंधक के रूप में(एलआईसी)**

न्यासी ट्रस्टीज के दिनांक 29.03.2004 के संकल्प संख्या 48 के अनुसार, भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को पेंशन निधि के प्रबंधन हेतु निधि प्रबंधक नियुक्त किया गया है। एमबीपीए पेंशन निधि द्वारा एलआईसी में निवेशित कुल निधि विभिन्न प्रतिभूतियों में निवेशित की गई थी। इसी प्रकार, एलआईसी आईआरडीएआई निवेश विनियम, 2016 के अनुसार एकत्रित आधार पर अपनी निधियों का प्रबंधन कर रही है।

v एमबीपीए-पीएफटी के ट्रस्ट विलेख के प्रावधानों के अनुसार, न्यासियों द्वारा निधि के प्रशासन और लेखा परीक्षा शुल्क के संबंध में किए गए सभी प्रशासनिक व्यय मुंबई पत्तन प्राधिकरण के न्यासी बोर्ड द्वारा वहन किए जाएँगे। इसलिए, आय और व्यय खाते में कोई प्रशासनिक व्यय नहीं दिखाया गया है।

VI. आय-व्यय विवरण में, वर्ष 2024-25 के दौरान अर्जित ब्याज को आय में दर्शाया गया है। एलआईसी से प्राप्त ₹875,46,04,226.64 (₹875.46 करोड़), सीएलटीडी पर प्राप्त ₹12,22,523.00 (₹0.12 करोड़) और विलंबित भुगतान पर प्राप्त ₹2,09,055.00 (₹0.02 करोड़) ब्याज को आय में दर्शाया गया है। इसी प्रकार, पेंशन वितरण हेतु मु. प. प्रा. से प्राप्त ₹104,50,00,000 (₹104.50 करोड़) की राशि को आय में दर्शाया गया है। कुल व्यय में दर्शाए गए ₹1429,91,70,027.00 (₹1429.92 करोड़) में ₹2,53,68,86,765.00 (₹253.69 करोड़) का उपार्जित व्यय शामिल है, जो पेंशन समीक्षा 2022, समेकन एवं निपटान और जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त न होने के कारण रोकी गई पेंशन के कारण उत्पन्न बकाया राशि के रूप में दर्ज किया गया है। ₹451,04,34,149.36 (₹451.04 करोड़) का घाटा पेंशन निधि में दर्ज किया गया है।

VII. विविध देनदारों (मु. प. प्रा. से प्राप्य) के रूप में ₹116,96,99,721.10 (₹116.97 करोड़) की राशि, जो मुख्य रूप से पूर्व बीडीएलबी के पेंशन निधि के हस्तांतरण के कारण है, को 'वर्तमान संपत्तियां, ऋण, अग्रिम और अन्य संपत्तियां' शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है। इसमें छह महीने से अधिक समय से बकाया ₹114,40,40,010.89 (₹114.40 करोड़) और अन्य ₹2,56,59,710.21 (₹2.57 करोड़) शामिल हैं।

VIII. 31.03.2025 तक 'वर्तमान संपत्ति,ऋण, अग्रिम और अन्य संपत्ति' के अंतर्गत दर्शाए गए विविध देनदार (पेंशनभोगियों से प्राप्य) निम्नानुसार हैं:

| क्रमांक | विवरण | राशि (₹ ) |
|---|---|---|
| 1 | 6 महीने से अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम बकाया (ए) | **2,62,42,272.00** |
| 2 | 5 वर्ष से अधिक समय से बकाया * (बी) | **1,30,99,927.00** |
| 3 | 6 महीने से अधिक का कुल बकाया सी =( ए + बी) | **3,93,42,199.00** |
| 4 | 6 महीने से कम बकाया (डी) | **32,36,888.00** |
| 5 | पेंशनभोगियों से प्राप्य ई =( सी + डी) | **4,25,79,087.00** |

नोट: * उपरोक्त में से ₹ 1,22,99,927 (₹ 1.23 करोड़) के अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान किया गया है।

IX. वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, संबंधित पेंशनभोगियों से जीवन प्रमाण पत्र/शपथपत्र प्राप्त न होने के कारण ₹6,51,04,751.00 (₹6.51 करोड़) की पेंशन राशि रोक दी गई है। पेंशन संशोधन, समेकन और निपटान के कारण पेंशनभोगियों को कुल ₹240,00,00,000.00 (₹240 करोड़) की बकाया राशि देय है। इसी प्रकार, सेवानिवृत्ति बकाया के रूप में ₹7,08,31,193.00 (₹7.08 करोड़) और विदेशी सेवा अंशदान के रूप में ₹5,62,323.00 (₹0.06 करोड़) का भुगतान नहीं किया गया है। इसी प्रकार, ₹3,88,498.00 (₹0.04 करोड़) की राशि पुरानी शेष राशि के रूप में देय है जिसका निपटान अभी किया जाना है। इस प्रकार, ₹2,53,68,86,765.00 (₹253.69 करोड़) की उपार्जित देयता को "वर्तमान देयताएँ और प्रावधान" शीर्षक के अंतर्गत दर्ज किया गया है।

| | | |
|---|---|---|
| हस्ता/- | हस्ता/- | हस्ता/- |
| सुशील कुमार सिंह<br>अध्यक्ष | आदेश तितरमारे<br>उपाध्यक्ष | माधुरी वराडे<br>सचिव |
| हस्ता/- | हस्ता/- | हस्ता/- |
| पी.एन. बाहेकर<br>न्यासी | प्रदीप नलावडे<br>न्यासी | ज्ञानेश्वर वाडेकर<br>न्यासी |

## SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES AND NOTES ON ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2025

.....

The Central Government has appointed the 3rd day of November, 2021 as a date on which provision of Major Port Authorities Act, 2021, came into force. Same was published vide Gazette Notification No. S.O. 4504(E) dated 29.10.2021. Accordingly the MPA Act, 2021 came into force w.e.f. 03.11.2021. Ministry, thereafter, constituted the first Board of the Major Port Authorities vide Gazette Notification dated 31.01.2022. Accordingly, the Board of Members of the Mumbai Port Authority vide TR No. 02 dated 15.02.2022 have accorded approval to the change the name of "Mumbai Port Trust" as "Mumbai Port Authority" w.e.f. 31.01.2022 i.e. the date of Gazette Notification.

To comply with above, the Trustees of MbPAPFT vide its Resolution No. 02 dated 12.05.2022, have accorded approval to the change the name of Mumbai Port Trust Pension Fund Trust (MbPTPFT) as Mumbai Port Authority Pension Fund Trust (MbPAPFT). The process of amending the name of PAN by amending the Trust Deed is under process.

**Schedule 11. Significant Accounting Policies :**

(i) The accounting system has been devised with a view to enable presentation of financial transactions of the Fund.

(ii) The financial statements are prepared under the historical cost convention and on the accrual basis of Accounting. The presentation of accounts is as per the prescribed format as specified by C&AG. i.e. Uniform format of Accounts for Central Autonomous Bodies.

(iii) Investments –

In terms of Accounting Standard 13, information relating to investments viz. aggregate amount of quoted and non-quoted investments (inclusive of investments with LIC), has been disclosed in the schedule III to the Balance Sheet. Investments are valued at cost after taking into consideration the commission and allied items.

(iv) Revenue Recognition –

(a) The interest is accounted on accrual basis.

(v) Bad Debt Recognition -

In terms of Accounting Standard, information regarding Bad and Doubtful debt, has been disclosed in Schedule IV to the Balance Sheet. A provision of Bad debts has been made in respect of amounts recoverable from pensioners that have remained outstanding for more than 5 years as of 31.03.2025

**Schedule 12. Notes on Accounts :**

I. The Central Government through Ministry of Shipping (Port Wing) conveyed by Notification No. PR-12016/24/2002-PE-I dated 21.05.2004 sanction to Mumbai Port Trust (Pension Fund) Regulation, 2004 which notification published under GSR No. 341(E) in the Gazette of India, Part II, Section 3. Subsection 3(i) dated 21.05.2004. The Mumbai Port Trust Pension Fund Trust came into existence by virtue of Trust Deed executed on 14 January 2004 between the Board of Trustees of Mumbai Port Trust and the Trustees of Pension Fund Trust. The Commissioner of Income Tax Range 12(1), Mumbai by order no. CIT 12/Pension Fund/2003-04 dated 1-3-2004 accorded approval to MbPT Pension fund in terms of powers vested in him under Rule 2(1) of Part B of IV schedule to Income Tax Act, 1961 subject to certain conditions. Ministry by its letter dated 6.4.2004 conveyed its approval to the Trust. The notification has been published in the Govt. Gazette dated 21st May 2004.

II. By notification bearing No. LB-13022/4/1997-L-IV/DO(I) dated 09.01.2015 issued by Ministry of Shipping (Ports Wing), the Bombay Dock Labour Board has been legally merged with Mumbai Port Trust w.e.f. 01.01.2015. As such, w.e.f. 01.01.2015 pension liability towards Ex-BDLB's existing and future pensioners is borne by MbPA Pension Fund Trust and expenditure towards pension payment has been accounted for in the books of MbPA Pension Fund Trust.

III. To comply with Rule 89 of Income Tax Rules, 1962 in terms of Board of Trustees Resolution No.48 dated 29.03.2004, LIC of India has been appointed as Fund Manager to manage Pension Fund. Every year Actuarial Pension Liability towards existing and future pensioners is worked out by them. On the basis of such actuarial liability and in terms of guidelines provided in Mumbai Port Authority (Pension Fund) Regulations, 2004, yearly contribution is made by Mumbai Port Authority to the MbPA Pension Fund Trust (MbPA-PFT). During F.Y.2024-25 Mumbai Port Authority has contributed an amount of ₹ 1976,50,00,000 (₹. 1976.50 crores) in MbPA-PFT and ₹ 104,50,00,000 (₹ 104.50 crores) for disbursement of Pension payments. Details are reflected in Schedule I.

IV. Fund Management by LIC

a) LIC is entrusted with the management of Pension Fund as per Policy no. 692067. To meet the actuarial liability every year, monies are invested with LIC. Interest on investments with LIC is also retained with LIC. During the year, an amount of ₹ 1967,00,00,000 (₹ 1967.00 crores) have been invested with LIC which comprises ₹ 1872,00,00,000 (₹ 1872.00 crores) and withdrawal and reinvestment of ₹ 95,00,00,000 (₹ 95.00 crores) in Pension Fund. Similarly an amount of ₹ 1175,00,00,000 (₹ 1175.00 crores) has been withdrawn from the fund, for monthly payment of Pension to pensioners. An Interest @ 8.09% p.a. amounting to ₹ 875,46,04,226.64 (₹ 875.46 crores) has been received from LIC for F.Y. 2024-25. The total investment with LIC as on 31.03.2025 is ₹ 11975,87,23,120.28 (₹ 11975.87 crores) including Interest for FY 2024-25. The investment as on 31.03.2024 was ₹ 10308,41,18,893.64 (₹ 10308.41 crores)

b) Actuarial Valuation

LIC of India has informed the total actuarial liability of ₹ 13061.42 crore as on 31.03.2025 comprising of ₹ 10102.27 crore towards existing pensioners and ₹ 2959.15 crore towards future pensioners (existing employees).

This valuation has been done considering the salary escalation rate @ 6%. Considering the investment balance of ₹ 11976.63 crore as on 31.03.2025, there is a short funding of ₹ 1084.79 crore which will be full filled on availability of surplus revenue in coming years.

c) LIC as the Fund Manager

In terms of Board of Trustees Resolution No.48 dated 29.03.2004, LIC of India has been appointed as Fund Manager to manage Pension Fund. The total Fund invested by MbPA Pension Fund with LIC were invested by them in various securities. Similarly, LIC is managing their funds on pooled basis in terms of IRDAI Investment Regulations, 2016

V. As per the provisions of Trust Deed of MbPA-PFT, all the administrative expenses incurred by the Trustees in connection with administration of fund and the audit fees shall be borne by the Board of Trustees of Mumbai Port Authority. Hence, no administrative expenses are shown in the Income & Expenditure Account.

VI. In the Income and Expenditure statement, the interest earned during the year 2024-25 has been shown as the income side. Interest of ₹ 875,46,04,226.64 (₹ 875.46 crores) received from LIC, ₹ 12,22,523.00 (₹ 0.12 crores) received on CLTD and Interest on Delayed Payment of ₹ 2,09,055.00 (₹ 0.02 crores). Similarly amount of ₹ 104,50,00,000 (₹ 104.50 crores) received from MbPA for pension disbursement are shown on income side. The total expenditure of ₹ 1429,91,70,027.00 (₹ 1429.92 crores) shown at the expenditure side includes an accrued expenditure of ₹ 2,53,68,86,765.00 (₹ 253.69 crores) booked towards arrears arising due to Pension Revision 2022, Consolidation & settlement and on account of pension withheld for non-receipt of Life certificates. The deficit of ₹ 451,04,34,149.36 (₹ 451.04 crores) has been charged to the pension fund.

VII. The amount of ₹ 116,96,99,721.10 (₹ 116.97 crores) as Sundry Debtors (Receivable from MbPA) mainly on account of transfer of Pension Fund of Ex-BDLB, has been shown under the head 'Current Assets, Loans, Advances & Other Assets'. This includes ₹ 114,40,40,010.89 (₹ 114.40 crores) outstanding for more than six months and others ₹ 2,56,59,710.21 (₹ 2.57 crores)

VIII. Sundry Debtors (Receivable from Pensioners) reflected under 'Current Assets, Loans, Advances & Other Assets' as on 31.03.2025 are as under :

| Sr No | Particulars | | Amt (₹ ) |
|---|---|---|---|
| 1 | Outstanding more than 6 months but less than 5 years | (A) | 2,62,42,272.00 |
| 2 | Outstanding for more than 5 years * | (B) | 1,30,99,927.00 |
| 3 | Total Outstanding more than 6 months | C=(A+B) | **3,93,42,199.00** |
| 4 | Outstanding less than 6 moths | (D) | **32,36,888.00** |
| 5 | Receivable from Pensioners | E=(C+D) | **4,25,79,087.00** |

Note : * From the above provision for Bad and Doubtful debts of ₹ 1,22,99,927 (₹ 1.23 Cores) has been made

IX. During the F.Y.2024-25, pension amounting to ₹ 6,51,04,751.00 (₹ 6.51 crores) has been withheld for non receipt of the Life Certificates/Affidavit from the concerned pensioners. The arrears amount due on account of Pension Revision, Consolidation and settlement due to pensioners aggregating to ₹ 240,00,00,000.00 (₹ 240 crores). Similarly, ₹ 7,08,31,193.00 (₹ 7.08 crores) has been unpaid on account of superannuation dues, ₹ 5,62,323.00 (₹ 0.06 crores) on accounts of foreign service contributions. Similarly, an amount of ₹ 3,88,498.00 (₹ 0.04 crores) is due to the old balances yet to be settled. Thus, accrued liability of ₹ 2,53,68,86,765.00 (₹ 253.69 crores) has been booked under the head "The Current Liabilities and Provisions".

Sushil Kumar Singh
Chairperson

Adesh Titarmare
Dy. Chairperson

Madhuri Varade
Secretary

P.N. Bahekar
Trustee

Pradeep Nalavde
Trustee

Dnyaneshwar Wadekar
Trustee

## 31मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास, मुंबई के खातों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की राय

### योग्य राय

हमने मुंबई पत्तन न्यास(पेंशन निधि) विनियमावली, 2004 के विनियम 4, अनुलग्नक (न्यास विलेख) के खंड 13 और महा पत्तन प्राधिकरण अधिनियम,2021 की धारा 75(2)(बी)(एफ) के साथ पठित नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के (कर्तव्य, शक्ति और सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 की धारा 19(1) के तहत मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास के वित्तिय विवरणों की लेखा परीक्षा की है ,जिसकी 31 मार्च 2025 तक का वित्तीय स्थिति का विवरण ,और उस समय समापथ हुए वर्ष के लिया आय और व्याय खाता/प्राप्तिया और भुगतान खाता तथा वित्तिय विवरणों और टिप्पणियोऔर महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियो का सारांश शामिल है

इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट में केवल वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखांकन प्रथाओं के अनुरूपता, लेखांकन मानकों, प्रकटीकरण मानदंडों आदि के संबंध में लेखांकन व्यवहार पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां शामिल हैं। कानून, नियमों और विनियमों (औचित्य और नियमितता) और दक्षता सह प्रदर्शन पहलुओं आदि के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेनदेन पर लेखापरीक्षा टिप्पणियां, यदि कोई हो, तो निरीक्षण रिपोर्ट / सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से अलग से रिपोर्ट की जाती हैं।

हमारी राय में, हमारी रिपोर्ट के योग्य राय के आधार अनुभाग में वर्णित मामलों के प्रभावों को छोड़कर, मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि, मुंबई के साथ दिए गए वित्तीय विवरण, लेखांकन नीतियों और उन पर टिप्पणियां और अलग लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित अन्य मामलों के साथ पढ़े जाने पर, 31 मार्च 2025 तक स्वायत्त निकाय की वित्तीय स्थिति और उसके वित्तीय प्रदर्शन और उसके नकदी प्रवाह के बारे में सही और निष्पक्ष जानकारी देते हैं, जो खातों के एक समान प्रारूप के अनुसार समाप्त वर्ष के लिए है।

**योग्य राय का आधार**

पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के पैरा संख्या ए का संदर्भ आमंत्रित किया जाता है। मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि, मुंबई ने 1319.25 करोड़ रुपये की पेंशन देयता के लिए प्रावधान नहीं किया है और परिणामस्वरूप मुंबई पत्तन न्यास, से प्राप्त होने वाली वर्तमान परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों को समान राशि से कम दर्शाया गया है।

हमने अपनी लेखापरीक्षा सीएजी के लेखापरीक्षा दिशानिर्देशों/मानकों/मैनुअल/दिशानिर्देशों/मार्गदर्शन-टिप्पणियों/आदेशों/परिपत्रों आदि के अनुसार की है। हमारी ज़िम्मेदारियों का विवरण हमारी रिपोर्ट के "वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षक की ज़िम्मेदारियाँ" अनुभाग में भी दिया गया है। हम वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा से संबंधित नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार स्वायत्त निकाय से स्वतंत्र हैं, और हमने इन आवश्यकताओं

के अनुसार अपनी अन्य नैतिक ज़िम्मेदारियाँ भी पूरी की हैं। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारी योग्य राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

## वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारियाँ

मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि, मुम्बई, खातों के एकसमान प्रारूप के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी और निष्पक्ष प्रस्तुति के लिए जिम्मेदार है, तथा आंतरिक नियंत्रण के लिए भी जिम्मेदार है, क्योंकि प्रबंधन यह निर्धारित करता है कि वित्तीय विवरणों की तैयारी को सक्षम करना आवश्यक है, जो कि धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाले भौतिक गलत बयानों से मुक्त हों।

## वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियाँ

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र वित्तीय विवरण, धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण किसी भी प्रकार के गलत विवरण से मुक्त है और सीएजी की लेखापरीक्षा विनियमों/मानकों/मैनुअलों/दिशानिर्देशों/मार्गदर्शन-नोटों/आदेशों/परिपत्रों आदि के अनुरूप है, जिसमे हमारी राय भी शामिल है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से

हस्ता /-
(विजय एन. कोठारी)
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (नौवहन), मुंबई

स्थान: मुंबई
दिनांक: 25 सितंबर 2025

## मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि, मुंबई के खातों पर अलग लेखापरीक्षा रिपोर्ट

### ए. तुलन पत्र

**पेंशन निधि 11742.17-करोड़ रुपये) अनुसूची I)**

**खातों पर टिप्पणियों - अनुसूची 12 का मद IV(बी)- बीमांकिक मूल्यांकन**

मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि का गठन एक ट्रस्ट विलेख (14 जनवरी 2004) के तहत कर्मचारियों और पूर्व कर्मचारियों की पेंशन देनदारियों को पूरा करने के लिए किया गया था। पेंशन निधि के प्रबंधन के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को फंड मैनेजर नियुक्त किया गया है। एलआईसी हर साल बीमांकिक मूल्यांकन करती है जिसके आधार पर मुंबई पत्तन प्राधिकरण द्वारा एलआईसी में निवेश किया जाता है।

31 मार्च 2025 तक बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार कुल पेंशन देयता ₹13061.42 करोड़ (मौजूदा पेंशनभोगियों के लिए ₹10102.27 करोड़ और भावी पेंशनभोगियों के लिए ₹2959.15 करोड़) थी। 31 मार्च 2025 तक पेंशन निधि शेष ₹11742.17 करोड़ था। बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए, निधि शेष में ₹1319.25 करोड़ की कमी है।

निधि शेष में कमी के परिणामस्वरूप देनदारियों (पेंशन निधि खाता) और परिसंपत्ति (वर्त्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम - मुंबई पत्तन न्यास से प्राप्य) को 1319.25 करोड़ रुपये तक कम दर्शाया गया है।

लेखापरीक्षा वर्ष 2012-13 से पेंशन देयता के लिए प्रावधान में कमी को इंगित कर रही है।

### बी .अनुसूची-12 खातों पर टिप्पणियां

प्राप्ति एवं भुगतान लेखा के अनुसार, मुंबई पत्तन प्राधिकरण (एमबीपीए) द्वारा 1872 करोड़ रुपये का योगदान दिया गया और एमबीपीए द्वारा संवितरण हेतु दी गई राशि 104.50 करोड़ रुपये थी। हालाँकि, लेखा टिप्पणियों (अनुसूची 12) के नोट संख्या III के अनुसार, वित्तीय वर्ष के दौरान, एमबीपीए ने एमबीपीए-पीएफटी में 1976.50 करोड़ रुपये और पेंशन भुगतान के संवितरण हेतु 104.50 करोड़ रुपये का योगदान दिया है। अतः यह नोट उस सीमा तक सही नहीं है।

### सी .सामान्य

वित्तीय विवरणों से जुड़ी अनुसूचियों के अनुसार, वर्ष 2024-25 के लिए, निवेश से आय (अनुसूची 5) 875.46 करोड़ रुपये और अर्जित ब्याज (अनुसूची 7) 0.12 करोड़ रुपये था। हालाँकि, आय और व्यय खाते में, इन राशियों को अनजाने में उलट दिया गया, निवेश से आय 0.12 करोड़ रुपये और अर्जित ब्याज 875.46 करोड़ रुपये दिखाया गया। इस त्रुटि के बावजूद, न्यास के समग्र घाटे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

### डी .प्रबंधन पत्र

जिन कमियों को पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, उन्हें सुधारात्मक कार्रवाई के लिए अलग से जारी प्रबंधन पत्र के माध्यम से प्राधिकरण के ध्यान में लाया गया है।

## ई .आंतरिक नियंत्रण का मूल्यांकन

### (i) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

एमबीपीए-पीएफटी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर्याप्त है।

### (ii) आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता:

वर्ष 2024-25 के लिए मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि (एमबीपीए-पीएफटी) का आंतरिक ऑडिट प्रगति पर है।

### (iii) नियत परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

एमबीपीए-पीएफटी पर नियत परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन लागू नहीं है क्योंकि उसके पास नियत परिसंपत्तियों नहीं हैं। न्यास मुंबई पत्तन प्राधिकरण की संपत्तियों का उपयोग कर रहा है।

### (iv) वस्तुसुची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

एमबीपीए-पीएफटी पर वस्तुसुची का भौतिक सत्यापन लागू नहीं है क्योंकि उसके पास वस्तुसुची नहीं है।

### (v) वैधानिक बकाया राशि के भुगतान में नियमितता

एमबीपीए-पीएफटी की वैधानिक बकाया राशि का भुगतान मुंबई पत्तन प्राधिकरण द्वारा किया गया था, इसलिए यह लागू नहीं है।

## एफ .सहायता अनुदान

शून्य

**Opinion of the Comptroller & Auditor General of India on the Accounts of Mumbai Port Authority Pension Fund Trust, Mumbai for the year ended 31 March 2025**

**Qualified Opinion**

We have audited the financial statements of Mumbai Port Authority Pension Fund Trust, Mumbai, which comprise the statement of financial position as at 31 March 2025 and the Income & Expenditure Account/Receipts & Payment Account for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies under Section 19(1) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971 read with regulation 4 of the Mumbai port Trust ( Pension fund) Regulations, 2004, clause 13 of the Annexure (Trust deed) and section 75 (2)(b)(f) of Major Port Authorities act 2021.

This Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with best accounting practices, accounting standards, disclosure norms, etc. Audit Observations on financial on financial transactions regarding compliance with the Law, Rules and Regulations (Propriety & Regularity) and efficiency cum performance aspects, etc., if any, are reported through inspection reports/ CAG's audit reports separately.

In our opinion, except for the effects of the matter described in the Basis for Qualified Opinion Section of our report, the accompanying financial statements of Mumbai Port Authority Pension Fund Trust, Mumbai read together with the accounting policies and Notes thereon and other matters mentioned in the Separate Audit Report, which follows, **give a true and fair view** of the financial position of the autonomous body as at March 31, 2025 and of its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance; with uniform format of accounts.

**Basis for Qualified Opinion**

A reference is invited to Para no. A of Separate Audit Report. Mumbai Port Authority Pension Fund Trust, Mumbai has not provided for Pension Liability of ₹1319.25 crore and consequent understatement of Current Assets, Loans and Advances – Receivable from Mumbai Port Trust by same amount.

We conducted our audit in accordance with CAG's auditing regulations/standards/manuals/ guidelines/guidance-notes/orders/circulars etc. Our responsibilities are further described in the *Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements Section* of our report. We are independent of the autonomous body in accordance with ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is

sufficient and appropriate to provide a basis for our qualified opinion.

**Responsibilities of Management for the financial statements**

The Mumbai Port Authority Pension Fund Trust, Mumbai is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with uniform format of accounts, and for internal control as management determines it necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

**Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements**

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion in accordance with CAG's auditing regulations/standards/ manuals/guidelines/guidance-notes/orders/circulars etc.

For and on behalf of the CAG of India

-Sd-
(Vijay N. Kothari)
Principal Director of Audit (Shipping), Mumbai

Place: Mumbai

Dt: 25 September 2025

**Separate Audit Report on the Accounts of**
**Mumbai Port Authority Pension Fund Trust, Mumbai**

**A. Balance Sheet**

**Pension Fund– ₹ 11742.17 crore (Schedule I)**

**Notes on Accounts – Item IV (b) of Schedule 12-Actuarial Valuation**

Mumbai Port Trust Pension Fund Trust was formed vide a Trust Deed (14 January 2004) to meet the pension liability of employees and ex-employees. Life Insurance Corporation (LIC) has been appointed as the Fund Manager to manage the Pension Fund. LIC does the actuarial valuation every year based on which the money is invested by Mumbai Port Trust with LIC.

The total pension liability as per actuarial valuation as on 31 March 2025 worked out to ₹13061.42 crore (₹10102.27 crore towards existing pensioners and ₹2959.15 crore towards future pensioners). The pension fund balance as on 31 March 2025 was ₹11742.17 crore. Considering the Actuarial Valuation Report, there is a shortfall of ₹1319.25 crore in the Fund Balance.

The shortfall in the fund balance has resulted in understatement of liabilities (Pension Fund Account) and Asset (Current Assets, Loans and Advances – Receivable from Mumbai Port Trust) to the extent of ₹1319.25 crore.

Audit has been pointing out the shortfall in provisioning for Pension Liability since 2012-13.

**B Schedule 12- Notes on Accounts**

As per Receipt and Payment Accounts, contribution by Mumbai Port Authority (MbPA) was ₹ 1872 crore and amount given by MbPA for disbursement was ₹104.50 crore. However, as per Note No. III of Notes on Accounts (Schedule 12), during the financial year MbPA has contributed an amount of ₹1976.50 crore in MbPA-PFT and ₹104.50 crore for disbursement of Pension payment. Thus, the note is not correct to that extent.

**C. General**

As per Schedules attached to the financial statements, for the year 2024-25, income from investment (Schedule 5) was ₹875.46 crore and Interest earned (Schedule 7) was ₹0.12 crore. However, in the Income and Expenditure Account, these amounts were inadvertently reversed, income from investments was shown as ₹0.12 crore and interest earned as ₹875.46 crore. Despite this posting error, there was no impact on the Trust's overall deficit.

**D. Management Letter**

Deficiencies which have not been included in the Separate Audit Report have been brought to the notice of the Authority through a Management letter issued separately for remedial/corrective action.

**E. Assessment of Internal Control**

**(i) Adequacy of internal control system**

The internal control system of MbPA-PFT is adequate.

**(ii) Adequacy of Internal Audit System:**

The Internal Audit of the Mumbai Port Authority Pension Fund Trust (MbPA-PFT) for the year 2024-25 is under progress.

**(iii) System of Physical verification of Fixed Assets**

Physical Verification of Fixed Assets is not applicable to MbPA-PFT as it does not have Fixed Assets. The Trust is using assets of Mumbai Port Authority.

**(iv) System of Physical verification of Inventory**

Physical Verification of Inventory is not applicable to MbPA-PFT as it does not have Inventory.

**(v) Regularity in payment of statutory dues**

Statutory dues of MbPA-PFT were paid by Mumbai Port Authority and hence not applicable.

**F. Grants in aid**

Nil

## 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास के खातों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई

| **लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ** | **की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पणियों** |
|---|---|
| **ए. तुलन पत्र** | |
| **ए.1 पेंशन निधि 11742.17-करोड़ रुपये) अनुसूची I)**<br>**खातों पर टिप्पणियों - अनुसूची 12 का मद IV(बी)- बीमांकिक मूल्यांकन** | |
| मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास का गठन एक ट्रस्ट विलेख (14 जनवरी 2004) के तहत कर्मचारियों और पूर्व कर्मचारियों की पेंशन देनदारियों को पूरा करने के लिए किया गया था। पेंशन निधि के प्रबंधन के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को फंड मैनेजर नियुक्त किया गया है। एलआईसी हर साल बीमांकिक मूल्यांकन करती है जिसके आधार पर मुंबई पोर्ट ट्रस्ट द्वारा एलआईसी में निवेश किया जाता है।<br><br>31 मार्च 2025 तक बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार कुल पेंशन देयता ₹13061.42 करोड़ (मौजूदा पेंशनभोगियों के लिए ₹10102.27 करोड़ और भावी पेंशनभोगियों के लिए ₹2959.15 करोड़) थी। 31 मार्च 2025 तक पेंशन निधि शेष ₹11742.17 करोड़ था। बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए, निधि शेष में ₹1319.25 करोड़ की कमी है।<br><br>निधि शेष में कमी के परिणामस्वरूप देनदारियों (पेंशन निधि खाता) और परिसंपत्ति (नियत परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम - मुंबई पत्तन प्राधिकरण से प्राप्य) को 1319.25 करोड़ रुपये तक कम दर्शाया गया है।<br><br>लेखापरीक्षा वर्ष 2012-13 से पेंशन देयता के लिए प्रावधान में कमी को इंगित कर रही है। | नियोक्ता होने के नाते पेंशन के प्रति दायित्व एमबीपीए का है। मुंबई पत्तन प्राधिकरण की पुस्तकों में ₹600.00 करोड़ का प्रावधान पहले ही किया जा चुका है।<br><br>यह भी बताना उचित होगा कि पेंशन दायित्व आवर्ती प्रकृति का है और एलआईसी द्वारा निर्धारित बीमांकिक दायित्व किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए नहीं है, इसलिए किसी विशेष वर्ष में इसका प्रावधान नहीं किया जा सकता।<br><br>आपके ध्यानार्थ यह भी उल्लेखनीय है कि समझौते में कोई विशिष्ट समय-सीमा नहीं है जिसके भीतर अंशदान पूरा किया जाना आवश्यक है। अतः, वर्ष 2024-25 के लिए वर्तमान देयता और परिसंपत्तियों को कम करके दिखाया गया है।<br><br>कम वित्त पोषण के संबंध में मद IV (ख) - लेखा टिप्पणियों का बीमांकिक मूल्यांकन के अंतर्गत उचित प्रकटीकरण किया गया है।<br><br>इस प्रकार, जैसा कहा गया है, कोई कमी नहीं है। |

| | |
|---|---|
| **बी. अनुसूची-12 खातों पर टिप्पणिया** | |
| प्राप्ति एवं भुगतान लेखा के अनुसार, मुंबई पत्तन प्राधिकरण (एमबीपीए) द्वारा 1872 करोड़ रुपये का योगदान दिया गया और एमबीपीए द्वारा संवितरण हेतु दी गई राशि 104.50 करोड़ रुपये थी। हालाँकि, लेखा टिप्पणिया (अनुसूची 12) के नोट संख्या III के अनुसार, वित्तीय वर्ष के दौरान, एमबीपीए ने एमबीपीए-पीएफटी में 1976.50 करोड़ रुपये और पेंशन भुगतान के संवितरण हेतु 104.50 करोड़ रुपये का योगदान दिया है। अतः यह नोट उस सीमा तक सही नहीं है। | **तथ्यात्मक**<br>यह कहना है कि एलआईसी में किए गए निवेश का खुलासा पहले ही लेखा टिप्पणियों के मद IV के अंतर्गत, 'एलआईसी द्वारा निधि प्रबंधन खंड के अंतर्गत किया जा चुका है। आवश्यक स्पष्टीकरण नीचे दिया गया है।<br><br>एमबीपीए से पेंशन निधि न्यास में योगदान<br><br>**क्रमांक** \| **विवरण** \| **संदर्भ** \| **करोड़) रुपये में(**<br>ए \| **एमबीपीए से पेंशन निधि न्यास में योगदान** \| लेखा मद III पर टिप्पणि \| 1976.50<br>बी \| एमबीपीए राजस्व से पेंशन फंड ट्रस्ट में योगदान (एलआईसी में किया गया निवेश)<br>ब्याज बचाने और अप्रैल में पेंशन का समय पर भुगतान करने के लिए 95 करोड़ रुपये की राशि उसी दिन निकालकर निवेश कर दी गई। यह राशि 1872 करोड़ रुपये की राशि में शामिल नहीं है। \| लेखा मद III एवं अनुसूची। पर टिप्पणि \| 1872.00<br>सी \| पेंशनभोगियों को पेंशन के मासिक भुगतान के लिए अन्तरण (आंतरिक अन्तरण) \| खातों पर टिप्पणि – मद III \| 104.50 |
| **सी .सामान्य** | |
| अर्जित ब्याज (अनुसूची 7) 0.12 करोड़ रुपये था । वित्तीय विवरणों से जुड़ी अनुसूचियों के अनुसार, वर्ष 2024-25 के लिए, निवेश से आय (अनुसूची 5) 875.46 करोड़ रुपये और हालाँकि, आय और व्यय खाते में, इन राशियों को अनजाने में उलट दिया गया, निवेश से आय 0.12 करोड़ रुपये और अर्जित ब्याज 875.46 करोड़ रुपये दिखाया गया। इस त्रुटि के बावजूद, न्यास के समग्र घाटे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। | लेखापरीक्षा का प्रेसण सही है<br>यह प्रस्तुत है कि एक्सेल फ़ाइल में ट्रायल बैलेंस और आय-व्यय खाते के बीच क्रॉस-रेफरेंस देते समय, एक सेल रेफरेंस अनजाने में बदल गया, जिसके परिणामस्वरूप मेल नहीं हुआ। हालाँकि, अनुसूची-5 और अनुसूची-7 संबंधित आँकड़ों को सही ढंग से दर्शाते हैं।<br>चूँकि उक्त त्रुटि का आय-व्यय खाते या पेंशन निधि पर भारित घाटे पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए निवेश से आय को कम करके और अर्जित ब्याज को अधिक करके नहीं दर्शाया गया है।<br>इस प्रकार, निवेश से आय को कम करके नहीं बताया गया है और अर्जित ब्याज को अधिक नहीं बताया गया है जैसा कि कहा गया है। |

| | |
|---|---|
| **डी .प्रबंधन पत्र** | |
| जिन कमियों को पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, उन्हें सुधारात्मक कार्रवाई के लिए अलग से जारी प्रबंधन पत्र के माध्यम से प्राधिकरण के ध्यान में लाया गया है। | **तथ्यात्मक** |
| **(i) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता**<br>एमबीपीए-पीएफटी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर्याप्त है। | **तथ्यात्मक** |
| **(ii) आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता:**<br>वर्ष 2024-25 के लिए मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास<br>(एमबीपीए-पीएफटी) का आंतरिक ऑडिट प्रगति पर है। | जी हां, मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास (एमबीपीए पीएफटी) की आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट पूरी होने पर लेखा परीक्षा को भेज दी जाएगी। |
| **(iii) नियत परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली**<br>एमबीपीए-पीएफटी पर नियत परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन लागू नहीं है क्योंकि उसके पास नियत परिसंपत्तियों नहीं हैं। ट्रस्ट मुंबई पत्तन प्राधिकरण की संपत्तियों का उपयोग कर रहा है। | **तथ्यात्मक** |
| **(iv) वस्तुसुची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली**<br>एमबीपीए-पीएफटी पर वस्तुसुची का भौतिक सत्यापन लागू नहीं है क्योंकि उसके पास वस्तुसुची नहीं है। | **तथ्यात्मक** |
| **(v) वैधानिक बकाया राशि के भुगतान में नियमितता**<br>एमबीपीए-पीएफटी की वैधानिक बकाया राशि का भुगतान मुंबई पत्तन प्राधिकरण द्वारा किया गया था, इसलिए यह लागू नहीं है। | **तथ्यात्मक** |
| **एफ .सहायता अनुदान**<br>शून्य | **तथ्यात्मक** |

**ACTION TAKEN NOTES ON SEPARATE AUDIT REPORT OF COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA ON THE ACCOUNTS OF MUMBAI PORT AUTHORITY PENSION FUND TRUST FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2025**

| Audit Observations | Action taken notes |
|---|---|
| **A) Balance Sheet** | |
| **A.1 Pension Fund ₹ 11742.17 crore (Schedule I)**<br>**Notes on Accounts - Item IV-(b) of Schedule 12 - Actuarial Valuation** | |
| Mumbai Port Trust Pension Fund Trust was formed vide a Trust Deed (14 January 2004) to meet the pension liability of employees and ex-employees. Life Insurance Corporation (LIC) has been appointed as the Fund Manager to manage the Pension Fund. LIC does the actuarial valuation every year based on which the money is invested by Mumbai Port Trust with LIC.<br><br>The total pension liability as per actuarial valuation as on 31.03.2024 worked out to ₹ 13061.42 crore as on 31.03.2025 (₹ 10102.27 crore towards existing pensioners and ₹ 2959.15 crore towards future pensioners). The pension fund balance as on 31st March 2025 was ₹ 11742.17 crore. Considering the Actuarial Valuation Report, there is a shortfall of ₹ 1319.25 crore in the Fund Balance.<br><br>The shortfall in the fund balance has resulted in understatement of liabilities (Pension Fund Account) and Asset (Current Assets, Loans and Advances - "Receivable from Mumbai Port Trust") to the extent of ₹ 1319.25 crore.<br><br>Audit has been pointing out the shortfall in provisioning for Pension Liability since 2012-13. | The liability towards pension is that of MbPA being the employer. Provision for ₹ 600.00 crores is already provided in the books of Mumbai Port Authority.<br><br>It is also pertinent to point out that Pension liability is of recurring nature and the actuarial liability worked out by LIC is not for a particular financial year hence cannot be provided for in any particular year.<br><br>It is also for your consideration that there is no specific deadline in the agreement within which the contribution needs to be complete. As such, there is no understatement of current Liability and Assets for the year 2024-25<br><br>Due disclosure has been made under Item IV (b)-Actuarial Valuation of the Notes on Accounts, regarding short funding.<br><br>Thus there is no understatement as stated. |
| **B. Schedule 12- Notes on Accounts** | |

<table>
<tr>
<td>As per Receipt and Payment Accounts, contribution by Mumbai Port Authority (MbPA) was Rs.1872 crore and amount given by MbPA for disbursement was Rs.104.50 crore. However, as per Note No.III of Notes on Accounts(Schedule 12), during the financial year MbPA has contributed an amount of Rs.1976.50 crore in MbPA-PFT and Rs.104.50 crore for disbursement of Pension payment. Thus, the note is not correct to that extent.</td>
<td>Factual.<br><br>It is stated that the investment made with LIC has already been disclosed under Item IV of the Notes on Accounts, under the section 'Fund Management by LIC. The requisite clarification is provided below.<br><br>Contribution from MbPA to Pension Fund Trust<br><br>
<table>
<tr><th>Sr No</th><th>Particulars</th><th>Reference</th><th>(₹ in crores)</th></tr>
<tr><td>A</td><td>Contribution from MbPA to Pension Fund Trust</td><td>Notes on Accounts item III</td><td>1976.50</td></tr>
<tr><td>B</td><td>Contribution from MbPA Revenue to Pension Fund Trust (Investment made in LIC)<br>Rs. 95 crs. of amount was withdrawn and invested on the same day in order to save interest and make timely payment of pension in April. The same is not included in the amount Rs. 1872 cr.</td><td>Notes on Accounts item III & Sch. I</td><td>1872.00</td></tr>
<tr><td>C</td><td>Transfer for monthly payment of Pension to pensioners. (Internal Transfer)</td><td>Notes on Accounts – Item III</td><td>104.50</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>C. General<br><br>As per Schedules attached to the financial statements, for the year 2024-2025, income from investmen (Schedule 5) was Rs.875.46 crore and Interest earned (Schedule 7) was Rs.0.12 crore. However, in the Income and Expenditure Account, these amounts were inadvertently reversed, income from investments was shown as Rs.0.12 crore and interest earned as Rs.875.46 crore.</td>
<td>Audit observation is correct.<br><br>It is stated that, while giving the cross-references between the Trial Balance and the Income & Expenditure Account in the Excel file, a cell reference was inadvertently changed, resulting in a mismatch. However, Schedule-5 and Schedule-7 correctly reflects the relevant figures.</td>
</tr>
</table>

| | |
|---|---|
| Despite this posting error, there was no impact on the Trust's overall deficit. | Since the said error does not have any financial impact on the Income & Expenditure Account or on the deficit charged to the Pension Fund<br><br>Thus there is no understatement of Income from Investment and overstatement of Interest earned as stated. |
| **D. Management letter** | |
| Deficiencies which have not been included in the Separate Audit Report have been brought to the notice of the Authority through a Management letter issued separately for remedial/corrective action. | **Factual** |
| **E. Assessment of Internal Control** | |
| **(i) Adequacy of Internal Control System**<br><br>The internal control system of MbPA-PFT is adequate. | **Factual** |
| **(ii) Adequacy of Internal Audit System**<br><br>The Internal Audit of the Mumbai Port Authority Pension Fund Trust (MbBPA-PFT) for the year 2024-25 is under progress. | Yes, as and when complete, the Internal Audit Report of Mumbai Port Authority Pension Fund Trust (MbPA PFT) will be forwarded to Audit. |
| **(iii) System of Physical verification of Fixed Assets**<br><br>Physical Verification of Fixed Assets is not applicable to MbPA PFT as it does not have Fixed Assets. The Trust is using assets of Mumbai Port Authority. | **Factual** |
| **(iv) System of Physical verification of inventory**<br><br>Physical Verification of Inventory is not applicable to MbPA PFT as it does not have Inventory. | **Factual** |

| | |
|---|---|
| **(v) Regularity in payment of statutory dues**<br><br>Statutory dues of MbPA PFT were paid by Mumbai Port Authority and hence not applicable. | **Factual** |
| **F. Grant in aid – NIL** | **Factual** |

# मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास
## अस्वीकरण

वित्तीय वर्ष 2024-25 के मुंबई पत्तन प्राधिकरण पेंशन निधि न्यास के वार्षिक लेखो, उस पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लेखापरीक्षा रिपोर्ट में विहित लेखापरीक्षा आपत्तियों/ अवलोकनो पर की गयी कार्रवाई संबंधी टिप्पणियाँ केवल जानकारी के लिए अंग्रेजी मूल का अनुवाद है. किसी भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी मूल प्रभावी होगा.

# MUMBAI PORT AUTHORITY PENSION FUND TRUST
## D I S C L A I M E R

The Hindi version of the Mumbai Port Authority Pension Fund Trust Annual Accounts for Financial Year 2024-25, Audit report thereon together with Action Taken Notes on Audit Objections/ Observation contained in Audit Report Financial Year 2024-25 is a translation of the original in English for information purpose only. In case of the discrepancy, the English original will prevail.